भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
कोयला ब्लॉकों का आबंटन एवं कोयला उत्पादन के संवर्धन
पर प्रतिवेदन

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार
कोयला मंत्रालय
2012-13 की प्रतिवेदन संख्या 7
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

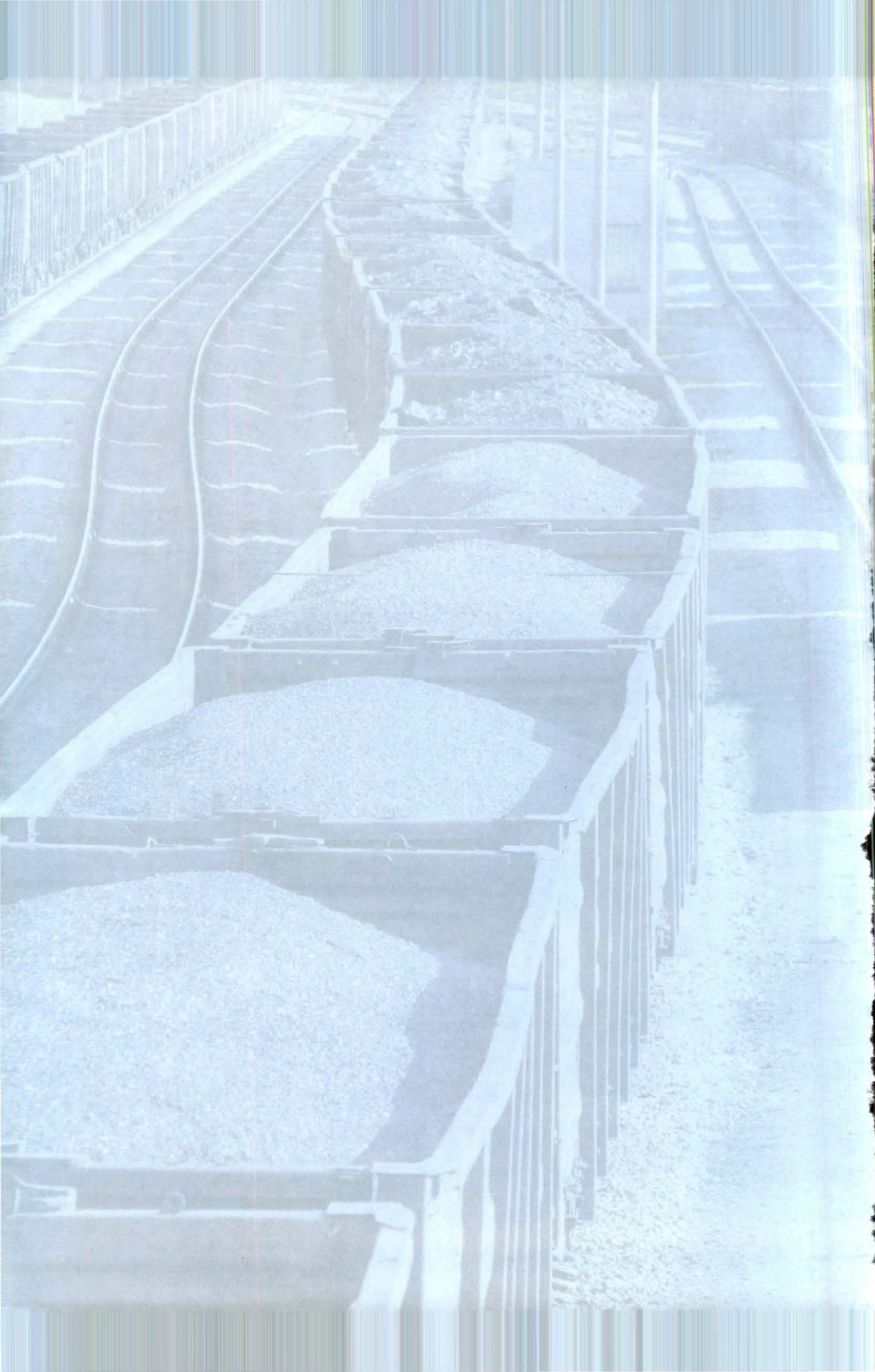

विषय सूची

	विषय	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	i
	कार्यकारी सार	iii
अध्याय 1	कोयला-एक विहंगावलोकन	1
अध्याय 2	लेखापरीक्षा ढाँचा	7
अध्याय 3	कोयला उत्पादन का संवर्धन	9
अध्याय 4	केप्टिव कोयला ब्लॉकों का आबंटन	21
अध्याय 5	केप्टिव कोयला ब्लॉकों का उत्पादन निष्पादन	33
अध्याय 6	निष्कर्ष और सिफारिशें	43
	अनुबंध	47

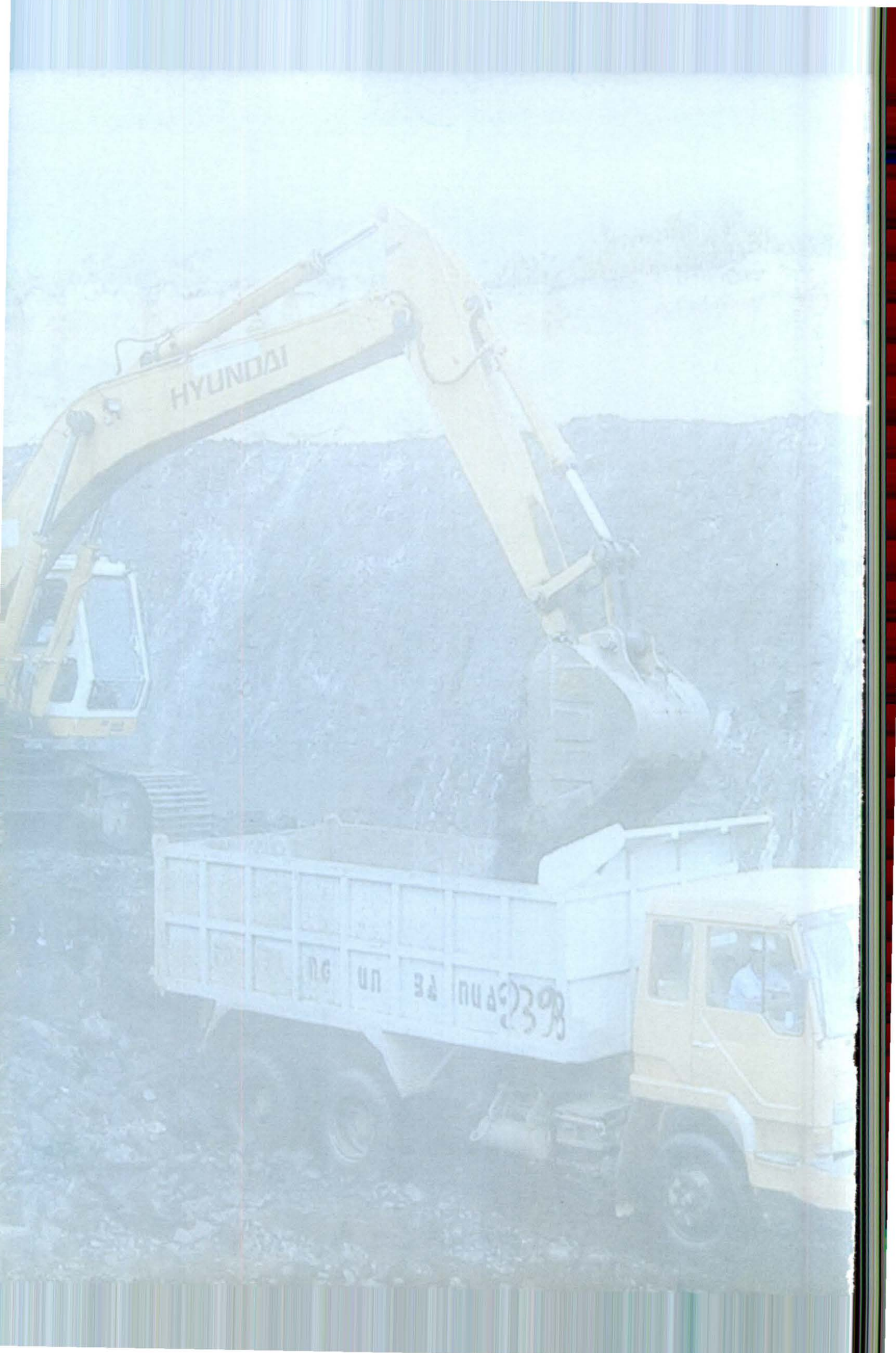
HYUNDAI

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में XI वीं योजना के दौरान "कोयला ब्लाकों के आबंटन एवं कोयला उत्पादन के संवर्धन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम समाविष्ट हैं। कोयले की माँग और घरेलू आपूर्ति में बढ़ते अन्तर तथा परिणामस्वरूप आयातों में उत्तरोत्तर वृद्धि से स्थिति नाजुक बन गई है जिसके कारण पारदर्शिता तथा वास्तविकता के दृष्टिकोण से कोयला ब्लाकों के आबंटन में अपनाई गई प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता की जांच के लिए एक अध्ययन करना उचित हो गया है। विद्युत, इस्पात और सीमेंट जैसे मूल अवसंरचना सेक्टरों की मांग की पूर्ति के लिए कोयला उत्पादन बढ़ाने में सीआईएल द्वारा निष्पादन का विश्लेषण भी किया गया है। 2004 से प्रारम्भ किए गए कोयला मंत्रालय की पहल के मद्देनजर आंतरिक कोयला ब्लाकों के आबंटन हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बोली तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली का आश्रय न लेकर निजी आबंटितियों को हस्तांरित संभावित लाभ का मुद्दा भी प्रस्तुत किया गया हैं।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सीआईएल और कोयला मंत्रालय से प्राप्त सहयोग हेतु लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।

कार्यकारी सार

कोयला भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण देशज स्रोत है जिसका भूवैज्ञानिक रिजर्व 2,85,863 मिलियन टन है और मौजूदा वाणिज्यिक ऊर्जा के आधे से अधिक की पूर्ति कोयले द्वारा की जाती है। कोयले की मांग और कोयले के घरेलू उत्पादन के बीच बढ़ते अन्तर और कमी को पूरा करने के लिए कोयला आयात में परिणामी वृद्धि और कोयला उत्पादन में वृद्धि के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) एवं कोयला मंत्रालय (एमओसी) द्वारा की गई कार्रवाई की यथेष्टता एवं प्रभावकारिता की जांच करने के लिए एक अध्ययन करना न्यायसंगत था। इसका महत्व और अधिक हो जाता है क्योंकि ऐसे दृष्टांत है जहाँ पावर सेक्टर में क्षमताएं निष्क्रिय पड़ी हैं अथवा कोयले की कमी से क्षमता के संवंर्धन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि भारत सरकार ने कतिपय सेक्टरों को अधिसूचित किया है जो कोयले का केप्टिव खनन कर सकते हैं, फिर भी कोयला खानों के आबंटन की प्रक्रिया वास्तविक एवं पारदर्शी होना चाहिए।

उपर्युक्त कारकों के पृष्ठपटल में "कोयला ब्लाकों के आबंटन और कोयला उत्पादन के संवर्धन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गई है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का वर्णन नीचे किया गया है:

- कोयले के उत्पादन में वृद्धि के लिए कोयला क्षेत्र सुधार (दिसम्बर 2005) के लिए रोड मैप पर श्री टी.एल. शंकर की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया था कि सेन्ट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन इस्टीच्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) की वेधन क्षमता को प्रतिवर्ष कम से कम 15 लाख मीटर तक बढाया जाए। जबकि इसके प्रति सीएमपीडीआईएल की प्रत्याशित वेधन क्षमता 2011-12 में मात्र 3.44 लाख मीटर थी **(पैरा 3.2)**।
- XIवीं योजनावधि के दौरान सीआईएल द्वारा कोयले के उत्पादन की वृद्धि दर योजना आयोग द्वारा परिकल्पित लक्ष्य से काफी कम रही। कम उत्पादन अपर्याप्त वेधन क्षमताओं, ओवरबर्डेन स्थानान्तरण में बैक लाग, उत्खनन एवं परिवहन क्षमताओं के बीच असमानता, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) की कम उपलब्धता और कम उपयोग के कारण था। सीआईएल के 48 कोयला ब्लाकों के अनारक्षण द्वारा उत्पादन बढ़ाने और उनका आबंटन केप्टिव उपभोक्ताओं को करने के एमओसी के प्रयास का अभीष्ट परिणाम नहीं हुआ क्योंकि इन ब्लाकों से उत्पादन प्रारम्भ नहीं हो सका **(पैरा 3.3)**।
- नई कोयला वितरण नीति 2007 में लघु एवं मध्यम उपभोक्ताओं को कोयले के बेहतर वितरण की परिकल्पना की गई। तथापि, कोयले के अंतिम उपयोग के सत्यापन के लिए सीआईएल में कोई निगरानी तंत्र स्थापित नहीं किया गया था **(पैरा 3.4)**।
- केप्टिव कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से बताया गया कि "प्राइवेट सेक्टरों को प्रस्तावित ब्लाक प्रचालन समस्याओं के परिहार के लिए विद्यमान खानों और सीआईएल की परियोजनाओं से यथोचित दूरी पर होने चाहिए"। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि सितम्बर 2006 में एनसीएल से मोहेर और मोहेर-अमलोहरी विस्तार के अनारक्षण और सासन यूएमपीपी के आबंटन के परिणामस्वरूप प्राइवेट पार्टी से एनसीएल की अमलोहरी

ओपेन कास्ट परियोजना की सीमा का विभाजन हुआ। इस नाते, एनसीएल अपने अमलोहरी ओसीपी के 48 मिलियन टन कोयला रिजर्व तक पहुंच प्राप्त नहीं कर सका। इससे इसका परियोजना कार्यकाल 24 से कम होकर 20 वर्ष हो गया। इसी प्रकार, मोहेर-अमलोहरी विस्तार से एनसीएल की निधाई ओपेन कास्ट परियोजना की सीमा के विभाजन से 9 मिलियन टन तक खान योग्य रिजर्वो की कमी हुई **(पैरा 3.5)**।

- सीआईएल द्वारा ओपेन कास्ट खानों से कोयले के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हुई है तथापि, 2006-07 से 2010-11 तक के दौरान ईसीएल में 9.1 मिलियन टन तक, सीसीएल में 5.88 मिलियन टन तक और एमसीएल में 22.86 मिलियन टन तक उत्पादन में गिरावट हुई **(पैरा 3.6)**।

- भूमिगत खानों से उत्पादन 2006-07 से 2009-10 तक लगभग 43 मिलियन टन तक स्थिर रहा है और 2010-11 में 40 मिलियन टन तक कम हो गया जो 2010-11 में सीआईएल के कुल उत्पादन का 9.28 प्रतिशत था **(पैरा 3.7)**।

- स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के कार्यवृत्त के रूप में कोयला ब्लाक के सभी आवेदकों में से किसी विशेष आबंटिती/ आबंटितियों को कोयला ब्लाक के आबंटन की स्क्रीनिंग कमेटी ने सिफारिश की । तथापि, कोयला ब्लाक के आवेदकों के किसी तुलनात्मक मूल्यांकन पर उक्त कार्यवृत्त अथवा अन्य दस्तावेजों में अभिलेख में कुछ नहीं था जिन पर स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विश्वास किया गया। स्क्रीनिंग कमेटी का कार्यवृत्त यह नहीं दर्शाता था कि किस प्रकार किसी विशेष कोयला ब्लाक के प्रत्येक आवेदक का मूल्यांकन किया गया था। इस प्रकार, कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए एक पारदर्शी पद्धति का स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा पालन नहीं किया गया था **(पैरा 4.1)**।

- प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से आंतरिक कोयला ब्लाकों की संकल्पना को सचिव (कोयला) की अध्यक्षता के अन्तर्गत पणधारियों के साथ हुई परस्पर बैठक में 28 जून 2004 को पहली बार सार्वजनिक की गई। बैठक के अनुसरण में "कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली" पर एक विस्तृत टिप्पण तत्कालीन सचिव (कोयला) द्वारा राज्य मंत्री, कोयला एवं खान के समक्ष प्रस्तुत किया गया था (16 जुलाई 2004) जिसमें यह उजागर किया गया कि "..... चूँकि सीआईएल द्वारा आपूर्त कोयले और आंतरिक खनन के माध्यम से उत्पादित कोयले की कीमत के बीच पर्याप्त अन्तर है, उस व्यक्ति को **अप्रत्याशित लाभ** है जिसे केप्टिव ब्लाक आबंटित किया गया है।....." इसलिए एमओसी द्वारा ऐसी चयन प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता महसूस की गई जो स्पष्ट रूप से अधिक पारदर्शी और वास्तविक रूप में स्वीकार्य हो सके। ब्लाकों की नीलामी को विस्तृत रूप में व्यवहृत और स्वीकार्य प्रक्रिया के रूप में मानी गई थी जो पारदर्शी एवं वास्तविक थी। टिप्पणी में आगे दर्शाया गया कि "... बोली प्रणाली से ही सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए **अप्रत्याशित लाभ** का भाग प्राप्त होगा ..." इन तथ्यों के बावजूद, भारत सरकार को प्रतिस्पर्धी बोली की कार्यप्रणाली को अन्तिम रूप देना अभी शेष है (फरवरी 2012) **(पैरा 4.2)**।

- जून 2004 तक 39 कोयला ब्लाकों (निवल) के आबंटन किए गए थे। जुलाई 2004 से सितम्बर 2006 तक के दौरान (प्रतिस्पर्धी बोली के लागू करने के लिए एमएमडीआर अधिनियम के संशोधन के मामले पर कार्रवाई करने के लिए खान मंत्रालय को भेजे गए मामले के समय तक) 71 और कोयला ब्लाक (निवल) आबंटित किए गए थे। जुलाई 2004 से कुल 142[i] कोयला ब्लाकों का आबंटन (निवल) विद्यमान आबंटन प्रक्रिया का पालन करते हुए विभिन्न सरकारी और निजी पार्टियों को किए गए थे। इस आबंटन में पारदर्शिता तथा वास्तविक्ता का अभाव था। उपर्युक्त तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने मार्च 2012 में बताया कि यह विचार कि बोली प्रणाली प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से लागू की जा सकेगी, पहली बार 28 जुलाई 2006 को विधि एवं न्याय मंत्रालय (एमओएलजे) द्वारा दिया गया था और परस्पर विरोधी राय के परिपेक्ष्य में पुनः एक संदर्भ किया गया था। एमओएलजे ने पूर्ववर्ती राय के लिए तर्कसंगत स्पष्टीकरण देते हुए 30 अगस्त 2006 के अपनी अन्तिम राय दी कि प्रशासनिक मंत्रालय एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन के लिए युक्ति कर सकता है। अधिनियम में संशोधन लंबित रहने तक इसने जुलाई 2006 की ईसीसी की सलाह से कोयला ब्लाकों के आबंटन की कार्रवाई प्रारम्भ की। अन्त में, एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन के साथ कोयला खानों की प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के लिए नियम 2 फरवरी 2012 को अन्तर-मंत्रालयीन परामर्श के बाद अधिसूचित किए गए थे **(पैरा 4.2)**।

- प्रमुखतः, 2004-2006 में एमओसी का तर्क, जब यह कोयला ब्लाकों के आबंटन में पारदर्शिता /प्रतिस्पर्धी लागू करने के लिए प्रयास कर रहा था, वह लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के एकदम अनुरूप था। 2 जी स्पक्ट्रम पर माननीय उच्चतम न्यायलय ने भी अपने निर्णय में दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन में पारदर्शिता/प्रतिस्पर्धा लागू करने का निदेश दिया है **(पैरा 4.3)**।

- प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया प्रारम्भ करने में विलम्ब से निजी कम्पनियों के लिए मौजूदा प्रक्रिया लाभप्रद बन गई है। लेखापरीक्षा ने ₹1.86 लाख करोड़ की राशि का आकलन किया है (वर्ष 2010-11 के लिए सीआईएल की ओपेन कास्ट खानों के उत्पादन की औसत लागत और कोयले की औसत विक्री कीमत के आधार पर) जो प्राइवेट कोयला ब्लाक आबंटितियों को उपचित होने की संभावना है। इस वित्तीय लाभ का एक भाग कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली वर्षों पहले लागू करने के निर्णय के प्रचालन द्वारा राष्ट्रीय राजकोष के लिए उपचय किया जा सकता था अतः लेखापरीक्षा की प्रबल राय है कि सस्ते कोयले का लाभ उपभोक्ताओं के हस्तांतरण की सुनिश्चिति के लिए कड़े नियामक और निगरानी तंत्र की आवश्यकता है **(पैरा 4.3)**।

- केप्टिव कोयला खनन प्राइवेट सेक्टर भागीदारों को बढ़ावा देने के लिए परिकल्पित आंतरिक खनन एक तंत्र है। सीआईएल मूल असंरचना सेक्टरों जैसे विद्युत, इस्पात और सींमेट आदि के लिए बढती मांग की पूर्ति के लिए उत्पादन बढ़ाने में समर्थ नहीं है। "2012 तक सभी को बिजली " के घोषित उद्देश्य के साथ सरकार ने 44,440 मिलियन टन के कुल वैज्ञानिक रिजर्वो के साथ 31 मार्च 2011 को 194 कोयला ब्लाकों (निवल) का आबंटन सरकारी एवं प्राइवेट पार्टियों को किया। केप्टिव उपभोक्ताओं को कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए

---

[i] आबंटित 216 ब्लाकों (पैरा 5.1) में से 22 ब्लाक (निवल) अनारक्षित किए गए थे, 39 ब्लाकों के आबंटन जून 2004 के पूर्व किए गए थे, 12 ब्लाकों के आबंटन यूएमपीपी को किए गए थें और एक ब्लाक एससीसीएल से संबंधित हैं।

अपनाई गई पद्धति में पारदर्शिता का अभाव था क्योंकि भावी केप्टिव उपभोक्ताओं को कोयला ब्लाकों के आबंटन केवल राज्य सरकारों और अन्य प्रशासनिक मंत्रालयों से सिफारिश के आधार पर पारदर्शिता और वास्तविकता सुनिश्चित किए बिना ही किए गए थे **(पैरा 4.1 व 5.1 पैरा, 1.1 व 1.6 के साथ)**

- केप्टिव खनन से कोयले का उत्पादन उत्साहवर्धक नहीं था। ऐसे 86 कोयला ब्लाकों में जिन्हें 2010-11 के दौरान 73.00 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करना था, से केवल 28 ब्लाकों, जिनमें प्राइवेट सेक्टर को आबंटित 15 ब्लाक शामिल थे, 31 मार्च 2011 तक उत्पादन प्रारम्भ और 2010-11 के दौरान केवल 34.64 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कर सके **(पैरा 5.2)**।

- अन्तिम प्रयोग वाली परियोजनाओं की कमिशनिंग और कोयला ब्लाकों से उत्पादन आरंभ करने में राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा समन्वित और नियोजित दृष्टिकोण अपनाया जाना आवश्यक है। खनन पट्टा, सतह अधिकार और तद्नंतर भूमि अधिग्रहण और पुनः स्थापना और पुनर्वास मुद्दों के लिए लिया गया असमान्य समय और केन्द्र और राज्य सरकारों से वन और पर्यावरणीय मंजूरी लेने में अधिक विलम्बों से आन्तरिक कोयला ब्लाकों से उत्पादन शुरू करने में काफी रूकावट हुई। विभिन्न अनुमोदन प्रदान करने के लिए शीघ्र कार्रवाई हेतु एकल तंत्र के रूप में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की आवश्यकता हैं। **(पैरा 5.5)**।

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर) में प्रावधान है कि नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के दृष्टिगत कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) किसी भी कोयला खादान में जा कर प्रवेश और निरीक्षण कर सकता है। तथापि, सीसीओ ने आवंटित ब्लाकों के आवंटितियों द्वारा बताई गई प्रगति/उत्पादन की तुलना में वास्तविक प्रगति/ उत्पादन की प्रत्यक्ष जॉच नही की। इस प्रकार आवंटितियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आकंडों की सटीकता को प्रमाणित नहीं किया जा सका। एमओसी की मानीटरिंग समिति को आबंटित कोयला ब्लाकों की प्रगति की समीक्षा करनी थी जो प्रत्येक माह की बजाय बैठकें तिमाही आयोजित की गई थी **(पैरा 5.6)**।

- एमओसी ने (मार्च 2005) कोयला ब्लाकों से समय पर उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए बैक गारंटी (बीजी) प्रणाली आरंभ की। एमओसी ने जून 2011 तक आबंटितियों द्वारा कोयला ब्लाकों के विकास की पहल के अभाव में 24 ब्लाकों का आवंटन रद्द कर दिया। मानिटरिंग समिति ने (जनवरी और फरवरी 2011) कोयला ब्लाकों के विकास में विलम्ब के लिए 15 आवंटितियों से बीजी की कटौती की भी सिफारिश की। तथापि, एमओसी बीजी को जहां लागू थी इन आबंटितियों से भुना नहीं सकी क्योंकि ऐसे नकदी करण की पद्धति अभी बनाई जानी थी (नवम्बर 2011)। विशेषज्ञ समिति ने ऐसे मामलों में पूरी बीजी के नकदीकरण की भी सिफारिश की थी। नवम्बर 2011 तक, लेखापरीक्षा द्वारा 15 ब्लाकों के प्रति व्यपगत बीजी की राशि ₹ 311.81 करोड़ आंकी गई थी, जिनका नवीकरण करने की आवश्यकता थी **(पैरा 5.7)**।

सिफारिशें :

एमओसी को चाहिएः

- "2012 तक सभी को बिजली" के घोषित उद्देश्य के साथ, सरकार ने बड़े पैमाने पर विद्युत और अन्य क्षेत्रों में केप्टिव खनन के लिए कोयला ब्लाकों के आवंटन के साथ-साथ कई कदम उठाए हैं। इन घोषित उद्देश्यों की सफलता के स्तर का निर्धारण करना सार्थक होगा ताकि मध्यावधि सुधार किए जा सके। देश के आर्थिक विकास में विद्युत की आवश्यकता निरंतर सर्वोपरि रहेगी। अतः ऐसे निर्धारण और "सभी को बिजली" के उद्देश्य के विकास के लिए अतिरिक्त रोड मैप महत्वपूर्ण है। उत्पादन के प्रारम्भ हेतु प्रक्रियाओं को शीघ्रता से करने के लिए आवश्यक निर्वाधनों अनुमति जैसे खनन पट्टे, खनन योजना, वन मंजूरी, पर्यावरण प्रबंधन योजना और भूमि अधिग्रहण के लिए केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ एकल तंत्र के रूप में विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) के अनुरूप एक अधिकार प्राप्त ग्रुप के गठन की आवश्यकता है।

- आवंटन में 'वास्तविकता' और 'पारदर्शिता' लाने के लिए और केप्टिव कोयला ब्लाकों के आवंटितियों को उपचित लाभ का एक भाग प्राप्त करने के लिए, एमओसी को तुरन्त प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा केप्टिव खनन के लिए कोयला ब्लाकों के आवंटन की प्रक्रिया को लागू करने की पद्धति बनानी चाहिए।

- एमओसी को केप्टिव कोयला ब्लाकों से उत्पादन निष्पादन बढ़ाने के लिए 'प्रोत्साहन' देने और गैर/खराब निष्पादन को कम करने के लिए 'हतोत्साहन' की प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

सीसीओ को चाहिए

- आबंटित ब्लाकों का नियमित आधार पर प्रत्यक्ष निरीक्षण करें।

सीआईएल को चाहिए

- अपने उत्पादन लक्ष्य योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप तय करने चाहिए।

- कोल वाशरीज़ स्थापित करने में तेजी लानी चाहिए क्योंकि कोयले की धावन क्षमता इस तथ्य के दृष्टिगत सीआईएल सहायक कम्पनियों में अधिकतर अपर्याप्त हैं कि भारतीय कोयले में राख की अधिक प्रतिशतता समाविष्ट है और जो प्रयोक्ता संयंत्रों में क्षमता के लिए और अधिक प्रतिफल लाने के अतिरिक्त पर्यावरणीय विषयों के परिप्रेक्ष्य में दोनों के लिए कोयले की वाशिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- अपनी उत्खनन और परिवहन क्षमताओं को साथ-साथ करे।

अध्याय 1 कोयला – एक विहंगावलोकन

1.1 भूमिका

कोयला, अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा का अति मूल्यवान तथा विश्वसनीय संसाधन है तथा वर्तमान वाणिज्यिक ऊर्जा की मांग का आधे से अधिक भाग कोयले द्वारा ही पूरा किया जाता है। समय बीतने के साथ-साथ, विद्युत क्षेत्र भारत में ताप विद्युत सृजन के लिए कोयले के प्रमुख उपभोक्ता के रूप में उभरा है। धातु तथा सीमेंट क्षेत्र कोयले के अन्य प्रमुख उपभोक्ता हैं।

कोयले के उत्पादन को 2003 के बाद बहुत महत्व मिला जब भारत सरकार ने "2012 तक सभी को बिजली" मिशन की घोषणा की। तद्नुसार, भारत सरकार ने 2012 तक 1,00,000 मे.वा. विद्युत के क्षमता संवर्धन की परिकल्पना की तथा इस बढ़ी हुई क्षमता को पूरा करने के लिए X से XI योजना अवधि (अर्थात 2002-12) में कोयला उत्पादन क्षमता में तद्नुरूपी वृद्धि अपेक्षित थी।

कोयले के अन्वेषण, उत्पादन तथा आबंटन में अन्तर्ग्रस्त विभिन्न एजेंसियों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व नीचे दिए गए हैं:

कोयला मंत्रालय (एमओसी)

कोयला रिज़र्वों के अन्वेषण तथा विकास हेतु नीतियां बनाने का समग्र उत्तरदायित्व कोयला मंत्रालय (एमओसी) का है। यह कोयले के उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण हेतु सामान्य दिशानिर्देश भी निर्धारित करता है।

कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ)

कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) एमओसी का एक अधीनस्थ कार्यालय है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। सीसीओ विभिन्न संविधिक कार्य करता है जैसे कोयले की श्रेणी, ग्रेड तथा आकार सुनिश्चित करने के लिए कोयला-खानों का निरीक्षण, कोयले के ग्रेड और आकार पर उपभोक्ताओं के दावों पर फैसले करना; कोयले पर सांख्यिकीय सूचना का संग्रहण एवं प्रकाशन तथा कोयला खानों की ओपनिंग और री-ओपनिंग का अनुमोदन करना। 2005 में, एमओसी ने केप्टिव खनन हेतु आबंटित कोयला ब्लॉकों के उत्पादन की मॉनीटरिंग के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सीसीओ की नियुक्ति की।

कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल)

कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल), जो एमओसी के अन्तर्गत एक महारत्न कम्पनी है, नवम्बर 1975 में चालू की गई थी। सीआईएल की सात सम्पूर्ण स्वामित्व वाली कोयला उत्पादन सहायक कम्पनियां हैं अर्थात भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), महानदी कोलाफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) तथा एक खनन योजना तथा परामर्श कम्पनी अर्थात सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिज़ाईन इंसटीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)।

सीआईएल विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कम्पनी है। उसने 2010-11 के दौरान 431.32 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया और ₹ 10,867 करोड़ का निवल लाभ कमाया। 31 मार्च, 2011 को सीआईएल के भारत आठ राज्यों में 471 खानों का प्रचालन कर रही थी, इनमें से, 163 ओपन-कास्ट खाने, 273 भूमिगत खाने तथा 35 मिश्रित खाने थी।

ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिज़ाईन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)

सीएमपीडीआईएल, भूवैज्ञानिक अन्वेषण तथा ड्रिलिंग, परियोजना नियोजन एवं डिज़ाईनिंग, इंजीनियरिंग सेवाओं, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरणीय सेवाओं आदि के क्षेत्र में सात उत्पादक सहायक कम्पनियों को तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) तथा खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (एमईसीएल) उन क्षेत्रों में पूर्वेक्षण करती हैं जिनमें कोयला रिज़र्व की संभावना होती है। इस पूर्वेक्षण का निधिकरण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। विस्तृत अन्वेषण सीएमपीडीआईएल को सौंपा गया है, जो विस्तृत भेदन के परिणामों के आधार पर अवरूद्ध क्षेत्र के लिए भूवैज्ञानिक रिपोर्टें बनाता है। क्षेत्रीय/प्रोमोशनल भेदन के परिणाम के विश्लेषण के पश्चात्, यह खानों की योजना तथा डिज़ाईनिंग, खान योजनाएं बनाने तथा व्यवहार्य खान क्षमता के निर्णय का आधार बनता है जिसे ब्लॉक में रिज़र्वों के लिए रोका जा सकता है।

1.2 देश में कोयला रिज़र्व

निम्न तालिका देश में उपलब्ध कोयले के भूवैज्ञानिक रिज़र्वों (जीआर) की मात्रा दर्शाती है:

(मिलियन टन में आंकड़े)

तारीख	देश में उपलब्ध कोयले के भूवैज्ञानिक रिज़र्व			
	प्रमाणित[1]	दर्शाई गई[2]	अनुमानित[3]	जोड़
1 जनवरी 2006	95,866	119,769	37,666	253,301
1 अप्रैल 2007	99,060	120,177	38,144	257,381
1 अप्रैल 2008	101,829	124,216	38,490	264,535
1 अप्रैल 2009	105,820	123,470	37,920	267,210
1 अप्रैल 2010	109,798	130,654	36,358	276,810
1 अप्रैल 2011	114,002	137,471	34,390	285,863

जैसाकि ऊपर देखा जा सकता है, 01 अप्रैल 2011 को भारत में कोयले का कुल जीआर 2,85,863 मिलियन टन था जिसमें से 1,14,002 मिलियन टन "प्रमाणित" श्रेणी में था, 1,37,471 मिलियन टन " दशाई गई " श्रेणी में था, 34,390 मिलियन टन "अनुमानित" श्रेणी में था। विगत पांच वर्षों में कोयला रिजर्वो में 32,562 मिलियन टन तक की वृद्धि हुई है।

---

[1] यह 90% के उच्चतम विश्वास स्तर सहित संसाधन आधार को दर्शाता है
[2] यह 70% के विश्वास स्तर सहित संसाधन आधार को दर्शाता है
[3] यह 40% के विश्वास स्तर सहित संसाधन आधार को दर्शाता है

1.3 राष्ट्रीय कोयला मांग

योजना आयोग ने संचयी वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के 9.7 प्रतिशत के आधार पर XI योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात 2011-12 के लिए 731.10 मिलियन टन कोयले की मांग दर्शायी थी। मध्यावधि मूल्यांकन में, योजना आयोग ने मांग को संशोधित कर 8.98 प्रतिशत सीएजीआर के आधार पर अन्तिम वर्ष के लिए 713.24 मिलियन टन कर दिया था। XI योजना के वास्तविक प्रक्षेपण और मध्यावधि अनुमान के अनुसार 2011-12 के लिए क्षेत्रवार मांग के अनुमान नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(मिलियन टन में आंकड़े)

क्षेत्र	योजना आयोग द्वारा प्रक्षेपित मांग	
	वास्तविक	संशोधित
विद्युत	483.00	473.00
आन्तरिक विद्युत संयंत्र	68.50	68.50
इस्पात	31.90	33.35
सिमेंट	57.06	47.00
अन्य	90.54	91.39
कुल	**731.00**	**713.24**

1.4 कोयले का घरेलू उत्पादन

योजना आयोग ने 2011-12 में 680 मिलियन टन (सीआईएल के लिए 520.50 मिलियन टन) कोयला उत्पादन की परिकल्पना की थी। X योजना में 104.71 मिलियन टन के प्रति वर्धित उत्पादन 247.50 मिलियन टन परिकल्पित किया गया था। सीआईएल से 156.70 मिलियन टन, सिंगरेनी कोलिरीज़ कम्पनी लिमिटेड (एससीसीएल) से 3.30 मिलियन टन और आन्तरिक ब्लाकों से 86.53 मिलियन टन बढ़ाने की प्रत्याशा की गई थी।

मध्यावधि मूल्यांकन में, योजना आयोग ने 2011-12 के लिए कोयले के उत्पादन का लक्ष्य संशोधित कर 680 मिलियन टन से 629.91 मिलियन टन (सीआईएल के लिए 520.50 मिलियन टन से 486.50 मिलियन टन) कर दिया था क्योंकि मुख्य रूप से सीआईएल की 17 मुख्य परियोजनाओं, जिनसे 100.65 मिलियन टन का सहयोग प्राप्त होना था से आवश्यक वन और पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में विलम्ब के कारण अब केवल 46.72 मिलियन टन सहयोग प्रत्याशित था।

1.4.1 सीआईएल द्वारा कोयला उत्पादन

नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) 2007 जो 18 अक्तूबर 2007 से प्रभावी हुई थी के अनुसार वर्तमान में, सीआईएल देश में विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले की कुल आपूर्ति का लगभग 81.10 प्रतिशत का योगदान करता है। विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति करता है। नई नीति में मुख्यतः दो चैनलों..... सीआईएल द्वारा नियत और घोषित अधिसूचित कीमतों पर ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए)[4] और ई-नीलामी के माध्यम से कोयले के वितरण की संकल्पना की। 4200 टन प्रति वर्ष

---

[4] तत्कालीन कोर एवं गैर कोर क्षेत्रों जिनके एफएसए नहीं है के सभी वर्तमान लिंकेज होल्डरों से कोयला कम्पनियों के साथ एफएसए करना अपेक्षित था। कोर एवं गैर कोर क्षेत्र की संकल्पना एनसीडीपी 2007 के बाद बंद हो गई थी।

की मांग वाले उपभोक्ताओं के लिए शेष वितरण, सीआईएल की अधिसूचित कीमतों जमा वास्तविक भाड़ा और सेवा प्रभार पर राज्य सरकारों द्वारा नामित एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

1.5 कोयले का राष्ट्रीय माँग-आपूर्ति अंतराल

योजना आयोग द्वारा एमओसी को प्रस्तुत वार्षिक योजना 2012-13 पर चर्चा कागज़ातों में यह दर्शाया गया था कि कोयले की मांग और आपूर्ति में अन्तराल आयात द्वारा पूरा किया जाएगा। आयात नीति आवश्यकता पर विचार और उनके अपने वाणिज्यिक विवेक का प्रयोग करते हुए उपभोक्ताओं द्वारा ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत कोयला के मुक्त आयात की अनुमति देती है। योजना आयोग द्वारा वास्तविक आयात की तुलना में कोयला की माँग और आपूर्ति का अंतराल निकाला गया था जिसे चार्ट में नीचे दर्शाया गया है।

(आंकड़े मिलियन टन में)

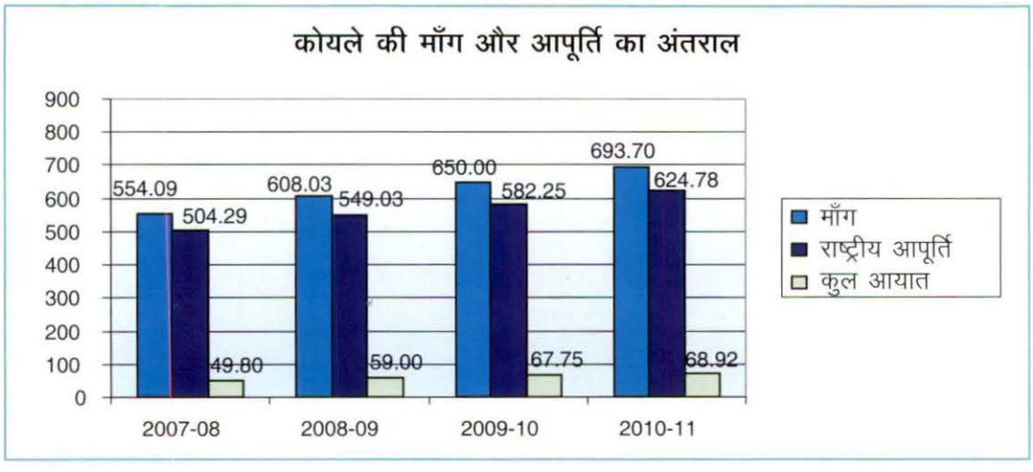

उपरोक्त ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि कोयला के माँग आपूर्ति अंतराल के कारण कोयला के आयात की प्रमात्रा 2007-08 में 49.80 मिलियन टन से बढ़ कर 2010-11 में 68.92 मिलियन टन हो गई थी जिसका देश के विदेशी मुद्रा बहिर्गमन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

1.6 कोयला ब्लाकों का आबंटन

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत कोयला खनन सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अनन्य रूप से आरक्षित किया गया था। तथापि, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1976 में उपर्युक्त नीति के निम्नलिखित अपवाद अनुमत किए गए यथा,

- लोहे एवं इस्पात के उत्पादन में लगी निजी कम्पनियों द्वारा आंतरिक खनन, और
- विलग अवस्था वाले छोटे स्थानों जहां आर्थिक विकास नहीं था और रेल परिवहन आवश्यक नहीं था, में निजी पार्टियों को कोयला खनन के लि उप पटटा।

प्रक्रिया को 1993 में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम के अन्य संशोधन द्वारा कार्यान्वित किया गया जिसमें विद्युत उत्पादन की आंतरिक खपत और समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अन्य अंत उपयोग के लिए कोयला खनन अनुमत किया गया। इस प्रकार, भारतीय प्राइवेट कम्पनियों द्वारा कोयले का खनन चरणों में लौह और इस्पात उत्पादन, विद्युत के उत्पादन और सीमेंट के उत्पादन में उनके अंत उपयोग के लिए अनुमत किया गया था।

जुलाई 1992 में, भारत सरकार ने प्राइवेट विद्युत उत्पादन कम्पनियों द्वारा आंतरिक खनन के लिए प्राप्त स्क्रीनिंग प्रस्तावों हेतु स्क्रीनिंग कमेटी[5] का गठन किया। महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची ***अनुबंध-I*** में दी गई है।

2004 तक कोयला खानों के आबंटन के लिए कोई स्पष्ट परिभाषित मानदंड नहीं था और अधिकांश खानें उन आवेदकों को आबंटित की गई थी जिन्होंने संबंधित राज्य सरकार से मात्र सिफारिश का पत्र यह इंगित करते हुए प्रस्तुत किया था कि पार्टी निर्दिष्ट क्षमता की अनुमेय अंत उपयोग परियोजना स्थापित करने की योजना बना रही थी।

इसी बीच, भारत सरकार ने श्री टी.एल. शंकर, अध्यक्ष, भारतीय ऊर्जा ग्रुप प्रशासनिक स्टाफ कालेज की अध्यक्षता में कोयला क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए व्यापक रोडमैप तैयार करने हेतु कोयला क्षेत्र सुधारों पर एक विशेषज्ञ समिति (विशेषज्ञ समिति) का गठन किया (दिसम्बर 2004)। विशेषज्ञ समिति की मुख्य सिफारिशें (2005) ***अनुबंध II*** में दी गई हैं।

विशेषज्ञ समिति की मुख्य सिफारिशें 2005

- अन्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रतिस्पर्धात्मक एवं पारदर्शी कोयला बाजार को अनुमत करते हुए विद्युत उत्पादन के लिए कोयला की आपूर्ति की न्यूनतम लागत सुनिश्चित करने के लिए कोयले की कीमत का विनियमन जारी रखना।
- अल्प से मध्यम अवधि में कोयला के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए आंतरिक खनन की भूमिका पर बल देना।
- कोयला ब्लाकों के आबंटन की क्रियाविधि एवं प्रक्रियाओं को पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से आंतरिक कोयला ब्लाकों के आबंटन में शीघ्रता लाने के लिए सुधार करने की आवश्यकता है।
- खान विकास के दौरान आंतरिक खानों से उत्पादन अथवा खान प्रचालनों के दौरान आवधिक अधिशेषों को तय कीमत पर सीआईएल/एससीसीएल को बेचा जाए।
- गैर गम्भीर उद्यमियों की बैंक गारंटी का नकदीकरण।
- सीआईएल ब्लॉक जो 2026-27 से पहले उत्पादन शुरू नहीं कर सकते हैं, का अनारक्षण।
- घरेलू कोयला क्षमता को बढ़ाने के लिए निकासियों की प्रगति के मानीटरन और परियोजना कार्यान्वयन के लिए स्थायी विशेष कार्य बल की स्थापना करना।

भारत सरकार ने कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए दिशानिर्देशों की रचना की (1993) जो प्रणाली के सुधार और प्रतियोगी आवेदकों के बीच परस्पर प्राथमिकता निश्चित करने के लिए पारदर्शिता लाने के अनुक्रम में एमओसी द्वारा 2005, 2006 और 2008 में संशोधित किए गए थे। इन दिशानिर्देशों को संक्षेप में नीचे दिया गया है:

- एमओसी, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कम्पनियों के परामर्श से आबंटन के लिए ऐसे कोयला खंडों की पहचान करेगी और एक सूची तैयार करेगी।
- एमओसी, इस प्रकार चिन्हित ब्लाकों से मंत्रालय प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से एक समय में कुछ ब्लाकों के लिए आवेदन मंगाएगी।

---

[5] अपर सचिव, एमओसी और परामर्शदाता (परियोजना) की अध्यक्षता में एमओसी संयुक्त सचिव और वित्तीय परामर्शदाता, रेल मंत्रालय, विद्युत और संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में।

➢ सरकारी व्यवस्था के अन्तर्गत चिन्हित बलाकों की सूची संबंधित सरकारी कम्पनियों से आवेदन मंगाते हुए परिचालित की जाएगी।

➢ इन आवेदनों की छानबीन सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की जाएगी और ब्लाकों के आबंटन के लिए सिफारिश की जाएगी।

मार्च 2011 तक, एमओसी ने आंतरिक खनन के लिए 194 कोयला ब्लाकों (निवल)[6] (44,440 मिलियन टन) का आबंटन किया था जिसमें 142 खोजे गए ब्लाक (जीआरः 23,391 मिलियन टन) थे और शेष 52 या तो क्षेत्रीय रूप से खोजे गए अथवा न खोजे गए कोयला ब्लाक (जीआरः 21,049 मिलियन टन) थे।

[6] *कोयला ब्लाकों के आबंटन रद्द करने और पुनः आबंटन करने का विचार करने के बाद।*

अध्याय 2 लेखापरीक्षा ढाँचा

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

देश में कोयले की माँग और घरेलू आपूर्ति के मध्य अन्तराल बढ़ रहा है और तद्नन्तर, आयात प्रगामी रूप से बढ़ रहा है। दूसरी ओर ऐसे दृष्टांत हैं जहाँ विद्युत संयंत्रों में सामर्थ्यताएं या तो निष्क्रिय पड़ी हुई हैं अथवा कोयले के अभाव में क्षमता में संवर्धन के लिए कठिनाईयों का सामना कर रही हैं । इन चिन्ताओं के पृष्ठपटल में, "कोयला ब्लॉकों के आबंटन और कोयला उत्पादन के संवर्धन " पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए की गई है किः

- सीआईएल ने यथा योजनागत इसकी उत्पादन क्षमताओं को बढाया।
- केप्टिव खनन के लिए कोयला ब्लाक्स के आबंटन के लिए अपनाई गई क्रियाविधियों में उद्देश्य एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए;
- केप्टिव खनन के लिए आबंटित कोयला ब्लाक्स में यथा परिकल्पित कोयले का उत्पादन बढाया जाए।

2.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में 2006-07 से 2010-11 की अवधि और एमओसी द्वारा 2004 से कोयला आबंटनों को कवर किया गया है। एमओसी, सीसीओ, सीआईएल और उसकी सहायक कम्पनियों के अभिलेखों की नमूना-जांच सितम्बर से नवम्बर 2011 के दौरान की गई थी। सीआईएल एवं इसकी सहायक कम्पनियों के साथ एन्ट्री कान्फ्रेंस 16 सितम्बर 2011 को और एमओसी के साथ 13 अक्तूबर 2011 को आयोजित की गई थी। एक्जिट कान्फ्रेंस 9 फरवरी 2012 और 9 मार्च 2012 को आयोजित की गई थी।

2.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा द्वारा उपयोग किए गए मानदण्ड निम्नलिखित थेः

- XI योजना एवं XI योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के लिए कोयले की माँग और आपूर्ति के संबंध में योजना आयोग के मूल प्रक्षेपण और संबंधित पैरामीटर।
- कोयले के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के लिए एमओसी एवं सीआईएल द्वारा नियत किए गए निष्पादन पैरामीटर।
- निम्नलिखित के संबंध में नीतियां पद्धतियां और दिशानिर्देश
  - कोयला ब्लॉकों का आबंटन और मॉनीटरिंग
  - कोयले का उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और मूल्य निर्धारण

- एमओसी के लिए परिणामी ढाँचा दस्तावेज (आरएफडी) और एमओसी के साथ सीआईएल एवं इसकी सहायक कम्पनियों का सहमति ज्ञापन (एमओयू)।

लेखापरीक्षा, प्रबंधन के सभी स्तरों पर एमओसी, सीआईएल तथा सीसीओ द्वारा प्रदत्त सक्रिय सहयोग और सहायता, जिसके कारण इस निष्पादन लेखापरीक्षा को पूरा करने में आसानी हुई, के लिए आभारी है।

अध्याय 3 कोयला उत्पादन का संवर्धन

3.1 कोयला रिज़र्वों का अनुमान

भारत में कोयला रिज़र्वों के अनुमान की गणना 1956 की भारतीय मानक पद्धति (आईएसपी) संहिता के आधार पर जीएसआई द्वारा की जाती है। यह एक भूवैज्ञानिक रिज़र्व वर्गीकरण प्रणाली है जो केवल मात्रा तथा टनभार अर्थातः कोयले के रिज़र्व न कि वास्तविक ढांचागत चित्रण का पता लगाती है। ढांचागत चित्रण मूल्यवान सूचना प्रदान करता है ताकि रिजर्व आर्थिक रूप से तथा तकनीकी रूप से निष्कर्षण के लिए उत्तरदायी हों।

यद्यपि भारत सरकार ने आईएसपी से छुटकारा पाने और खनिज के लिए संयुक्त राष्ट्र ढांचा वर्गीकरण (यूएनएफसी) की अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत प्रणाली जो तकनीकी व्यवहार्यता, आर्थिक व्यवहार्यता तथा भूवैज्ञानिक अनुमान के साथ एक थ्री-डाइमेंशन प्रणाली के आधार पर रिज़र्वों तथा संसाधनों के आकार की गणना हेतु मानक पद्धति का निर्धारण करती है, को लागू करने का मई 2001 में निर्णय लिया था, तथापि जब तक पीएमओ ने एमओसी को निदेश नहीं दिया (अप्रैल 2007), तब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। परिणामतः सीएमपीडीआईएल ने कोयला रिज़र्व वर्गीकरण की वर्तमान प्रणाली को यूएनएफसी में परिवर्तित करने के लिए एक अध्ययन किया (नवम्बर 2011)। सीएमपीडीआईएल द्वारा भारत सरकार को एक ड्राफ्ट रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की गई है (मार्च 2012)। इस मामले में अन्तिम निर्णय प्रतीक्षित है।

3.2 रिज़र्व साबित करने के लिए अपर्याप्त भेदन क्षमता

विशेषज्ञ समिति (दिसम्बर 2005) ने सुझाव दिया था कि एमओसी को सीएमपीडीआईएल की भेदन क्षमता को 3 लाख मीटर प्रति वर्ष से बढ़ा कर 15 लाख मीटर प्रति वर्ष करने के सभी सम्भव प्रयास करने चाहिएं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि XI योजना अवधि में सीएमपीडीआईएल तथा अन्य द्वारा समन्वेशी भेदन का लक्ष्य सीआईएल ब्लॉकों के लिए 7.50 लाख मीटर और गैर-सीआईएल ब्लॉकों के लिए 13.70 लाख मीटर था जिसके प्रति उपलब्धि क्रमशः 5.88 लाख मीटर तथा 7.82 लाख मीटर थी जिसके कारण XI योजना के लक्ष्यों के प्रति 1.62 लाख मीटर (सीआईएल ब्लॉकों) तथा 5.88 लाख मीटर (गैर सीआईएल ब्लाकों) की कमी थी। मार्च 2011 तक, 1828 मिलियन टन कोयला रिज़र्व स्थापित किया गया था। सीएमपीडीआईएल की भेदन क्षमता के विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गए 15 लाख मीटर प्रति वर्ष के लक्ष्य के प्रति 2010-11 में केवल 3.44 लाख मीटर होने की उमीद थी।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2012) कि क्षेत्रीय अन्वेषण के मामले में 7.47 लाख मीटर भेदन (संशोधित अनुमान) के लक्ष्य के प्रति जनवरी 2012 तक 5.30 लाख मीटर की प्राप्ति हुई थी। XI *योजना के अन्त तक अपेक्षित उपलब्धि 5.69 लाख मीटर है। भेदन में 1.78 लाख मीटर की कमी सीएमपीडीआईएल द्वारा सक्रिय अनुसरण के बावजूद वन अनुमोदन की अनुपलब्धता बताई गई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि जहां तक गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत अन्वेषण का संबंध है, सीएमपीडीआईएल ने 13.50 लाख मीटर विस्तृत भेदन शुरू करने की योजना प्रस्तुत की है। 7.12 लाख मीटर (संशोधित अनुमान) के लक्ष्य के प्रति संभावित उपलब्धि (आऊटसोर्सिंग के अतिरिक्त)*

7.62 लाख मीटर थी। 7.28 लाख मीटर भेदन से अन्तर्ग्रस्त 18 ब्लॉकों के भेदन कार्य की आऊटसोर्सिंग 2008-09 में ठेका देने के पश्चात् तीन वर्ष में पूरा करने के लिए प्रस्तावित की गई थी जिसके प्रति प्राप्ति (जनवरी 2012 तक) 4.97 लाख मीटर थी। इस प्रकार 2.31 लाख मीटर का शेष भेदन XI योजना के अंतिम वर्ष के अन्तिम दो महीने में पूरा किया जाना था। भेदन में कम प्रगति वन अनुमोदन न होने के कारण थी। यह भी बताया गया था कि विस्तार तथा आधुनिकीकरण के माध्यम से विभागीय क्षमता में वृद्धि यांत्रिक उपस्कर तथा अतिरिक्त भेदन शुरू करके की गई थी। सीआईएल क्षेत्रों में भेदन के संबंध में XI योजना में 5 लाख मीटर के भेदन का प्रस्ताव किया गया था जिसके प्रति 11.2 लाख मीटर भेदन प्राप्त किए जाने की संभावना है।

संक्षेप में, सीएमपीडीआईएल को गैर-सीआईएल ब्लॉकों की भेदन क्षमता बढ़ाने तथा तीव्र अन्वेषण, कोयला रिज़र्वों के निर्धारण तथा भूवैज्ञानिक रिपोर्टें बनाने के लिए अन्य एजेंसियों को लगाने की आवश्यकता है।

3.3 सीआईएल द्वारा कोयले का उत्पादन

31 मार्च 2011 को समाप्त पांच वर्ष के लिए योजना आयोग द्वारा नियत आन्तरिक लक्ष्यों के प्रति सीआईएल द्वारा उत्पादन निम्न चार्ट में दिया गया है:

(मिलियन टन में आंकड़े)

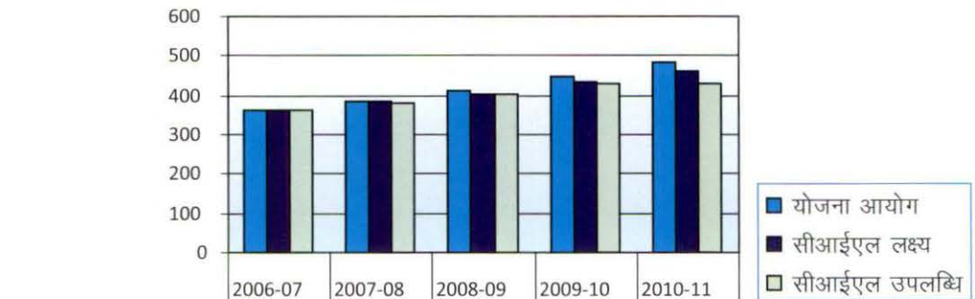

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
योजना आयोग	360.93	384.51	411.36	449.49	482.38
सीआईएल लक्ष्य	363.80	384.51	405.00	435.00	460.50
सीआईएल उपलब्धि	360.92	379.46	403.73	431.26	431.32

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, सीआईएल का वार्षिक उत्पादन कमोबेश 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान उनके आन्तरिक लक्ष्यों के अनुरूप है। वार्षिक उत्पादन 2006-07 से 2009-10 के दौरान लक्षित उत्पादन के 99.21 प्रतिशत और 99.14 प्रतिशत के बीच था। परन्तु वह 2010-11 में घट कर 93.66 प्रतिशत हो गया। तथापि 2011-12 के लिए अनुमानित उत्पादन (अप्रैल 2011) मूल तथा संशोधित लक्ष्यों के अनुसार योजना आयोग द्वारा नियत लक्ष्यों से क्रमशः 73.50 मिलियन टन तथा 39.50 मिलियन टन कम थे। XI योजना में 43.07 प्रतिशत (मूल) तथा 33.73 प्रतिशत (संशोधित) की कल्पित वृद्धि दर के प्रति, चार वर्षों में 2010-11 तक उत्पादन में वास्तविक दर केवल 19.51 प्रतिशत थी। मध्यावधि मूल्यांकन में योजना आयोग द्वारा उत्पादन के कम किए गए लक्ष्य के बाद भी, 2011-12 के लिए सीआईएल द्वारा 8.12 प्रतिशत और कम कर दिए गए थे।

उत्पादन के कम लक्ष्य नियत करने के मुख्य आधार पर्यावरण तथा वन अनुमोदनों में विलम्ब तथा रेलवे वैगनों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होना थे।

सीआईएल द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के परिणामस्वरूप निम्नलिखित बातें हुईः

- सीआईएल 2008-09[7] तथा 2010-11 के बीच की अवधि के दौरान ईंधन आपूर्त करारों (एफएसए) के अनुसार 54.41 *मिलियन* टन कोयला आपूर्त करने में विफल रहा।

- योजना आयोग ने कोयले की बाज़ार कीमत की प्रभावी खोज के लिए ई-नीलामी के माध्यम से कम से कम 20 प्रतिशत नॉन कोकिंग कोयला बेचने का सुझाव दिया। विशेषज्ञ समिति (दिसम्बर 2005) ने भी शुरू में ई-नीलामी बिक्री न्यूनतम 10 प्रतिशत घरेलू उत्पाद के लिए और उसके बाद तीसरे साल 20 प्रतिशत तक तथा 5 से 7 वर्ष की अवधि के दौरान 30 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की। नई कोयला वितरण नीति 2007 (एनसीडीपी) में यह विचार किया गया था कि वार्षिक उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत ई-नीलामी के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। नॉन-कोकिंग कोयला उत्पादन के प्रति ई-नीलामी की प्रतिशतता 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान क्रमशः 12.96, 11.57 तथा 11.94 प्रतिशत थी। यद्यपि ई-नीलामी कीमतें अधिसूचित कीमतों से 58.10 से 80.70 प्रतिशत अधिक थी, तथापि अधिक ई-नीलामी बिक्री का सहारा नहीं लिया जा सका क्योंकि सीआईएल एफएसए के अन्तर्गत अपनी करार वचनबद्धता को पूरा करने में विफल रहा।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2012) कि उत्पादन लक्ष्य योजना आयोग द्वारा विभिन्न पणधारियों (विद्युत, इस्पात एवं अन्य क्षेत्र) से कोयले की आकलित मांग के आधार पर तय किया जाता है जबकि सीआईएल का उत्पादन लक्ष्य अनुमानित वृद्धि दर के साथ पिछले वर्षों के वास्तविक निष्पादन के मद्देनज़र नियत किया गया था। तथापि, विद्युत सृजन का अनुमानित स्तर XI योजना अवधि के शुरू में 1,00,000 मे.वा. से घट कर 70,000 मे.वा.हो गया जिसके कारण कोयले की मांग में कमी आ गई। उत्पादन की घटी हुई दर से भी X योजना अवधि के अन्दर स्टॉक का संचय 45.60 मिलियन टन (1 अप्रैल 2008 को) से बढ़ कर 2010-11 के अन्त तक 69.17 मिलियन टन हो गया जिससे और उत्पादन की गुंजाईश नहीं रही। इसके अतिरिक्त, और भी कई कारण[8] थे जिन्होंने नई परियोजनाओं के विस्तार में बाधा डाली जिसके परिणामस्वरूप मूल XI योजना दस्तावेज़ से लक्ष्यों में अन्तर आ गया।

मंत्रालय के उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों के दृष्टिगत देखा जाना चाहिएः

- सीआईएल, एफएसए वचनबद्धताओं, जो कई वर्षों से धीरे-धीरे बढ़ी हैं, को पूरा करने में विफल रहा।
- नॉन-कोकिंग कोल में कई वर्षों से बड़ी मात्रा में आयात हुआ था।
- योजना आयोग द्वारा मध्यावधि संशोधनों के बाद भी, सीआईएल द्वारा लक्ष्यों/उत्पादन में कमी आई।

---

[7] XI योजना के शुरूआती वर्षों का उल्लेख नहीं किया गया क्योंकि लिंकेज की प्रणाली एनसीडीपी 2007 के अनुसार अक्तूबर 2007 में एफएसए द्वारा बदल दी गई थी।

[8] घाटबंधी व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) , वानिकी तथा पर्यावरणीय अनुमोदन, निकासी समस्या, मुख्यतः झारखंड और उड़ीसा में कानून व्यवस्था की समस्या, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, तथा पुनर्वास समस्याओं के कारण लगाई गई।

3.4 कोयले के अन्तिम प्रयोग की मॉनीटरिंग के तंत्र का अभाव

नई कोयला वितरण नीति, 2007 (एनसीडीपी) छोटे तथा मध्यम उपभोक्ताओं को प्रभावी ढंग में कोयले के वितरण की परिकल्पना करती है। तथापि, राज्य नामित एजेंसियों के माध्यम से कोयले की आपूर्ति की मानीटरिंग और कोयले के अन्तिम उपयोग की जांच के लिए सीआईएल की सहायक कम्पनियों में कोई तंत्र विद्यमान नहीं है। इस प्रत्यायक का सत्यापन न करने से लघु और मध्यम उपभोक्ताओं को कोयले का वितरण करने के लिए मात्र एनसीडीपी के उद्देश्य निष्फल ही नहीं हुए बल्कि इसमें विपथन और ब्लेक मार्केंट में बिक्री का भी जोखिम है।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2012) कि सीसीएल, जो सीआईएल की एक सहायक कम्पनी है, ने ऐसे उपभोक्ताओं से दस्तावेजों के सत्यापन की प्रणाली को प्रारम्भ किया और यह निर्णय लिया गया कि इस प्रणाली की क्षमता अथवा कार्यान्वयन सहायक कम्पनियों से प्राप्त किया जाएगा। उसके आधार पर उपभोक्ताओं के सत्यापन की प्रणाली पर निर्णय मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा।

3.5 सीआईएल कोयला ब्लाक्स का अनारक्षण

सीआईएल ने 2036-37 तक *XI* योजना स्तर पर उत्पादन को बनाए रखने के लिए अपेक्षित कोयला ब्लाक्स की पहचान के लिए 2004 में एक प्रयोग किया तथा 289 अतिरिक्त ब्लाक्स की पहचान की गई थी। उस समय विद्यमान खानों और परियोजनाओं के साथ सीआईएल द्वारा रोके जाने वाले कुल आरक्षितों को लगभग 93,000 मिलियन टन निकाला गया।

जुलाई 2005 में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा गठित ऊर्जा समन्वय समिति[9] (ईसीसी) ने निर्णय लिया (फरवरी 2006) कि चूँकि उस समय तक सीआईएल के लिए आरक्षित किए गए 289 कोयला ब्लाक्स (229 अन्वेषण किए गए और 60 अन्वेषण न किए गए) में से मात्र 150 ब्लाक्स की देश में कोयले की आपूर्ति बढाने के हित में 2011-12 तक सीआईएल द्वारा उत्पादन के लिए योजना बनाई गई थी, फिर भी 79 कोयला ब्लाक्स में से कुछ जिनका विस्तृत में अन्वेषण किया गया था उन्हें खनन के लिए अन्यों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

एमओसी ने मात्र उन ब्लाक्स को रोकने की सीआईएल को सलाह दी जिन्हें XI योजना के प्रन्तिय वर्ष तक उत्पादन के लिए प्रक्षेपित किया गया था और शेष ब्लाक्स को आन्तरिक आबंटन के लिए छोड़ दिया गया था। तद्नुसार, एमओसी ने आंतरिक आबंटन के लिए 9217.27 मिलियन टन कोयला आरक्षितों (5831.27 मिलियन टन बीटी के जीआर सहित 40 अन्वेषण किए गए और 3386 मिलियन टन के जीआर सहित 8 अन्वेषण न किए गए) सहित 48 सीआईएल ब्लाक्स को अनारक्षित किया (मई 2006)। यह एनटीपीसी को आबंटित (जनवरी 2006) 5 सीआईएल ब्लाक्स सहित और सासन यूएमपीपी को आबंटित दो ब्लाक्स (सितम्बर 2006 में आबंटित मोहेर एवं मोहेर अमलोहड़ी और अक्तूबर 2008 में आबंटित छात्रसाल) के साथ हुआ जिसके कारण सीआईएल से पुनः 3780 मिलियन टन कोयला आरक्षित निर्मुक्त हुआ। उपर्युक्त ब्लाक्स के अनारक्षण के पश्चात्, सीआईएल के पास लगभग 81500 मिलियन टन कोयला आरक्षित छोड़ दिया गया था।

---

[9] ***नोडल मंत्रालयों (वित्त, विद्युत, पैट्रोलियम) के मंत्रियों, योजना आयोग आदि के साथ माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में***

लेखापरीक्षा ने जून 2011 को सीआईएल से अनारक्षित इन 48 ब्लॉकों की जांच की और निम्नलिखित पाया गयाः

- नौ ब्लॉक्स आबंटित हुए बिना रहे।
- तीन का आबंटन के पश्चात् आबंटन रद्द किया गया था।
- नौ ब्लाक्स में अभी उत्पादन शुरू करना था। इनमें नियामक उत्पादन तारीख खत्म हो गई थी।
- शेष 27 ब्लाक्स के मामले में नियामक उत्पादन कार्यक्रम जुलाई 2011 से अप्रैल 2014 तक थे।

इसके अतिरिक्त, आन्तरिक कोयला ब्लाक्स के आबंटन के लिए दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से बताया गया कि "परिचालन कठिनाईयों को दूर करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रस्तावित ब्लाक्स सीआईएल की विद्यमान खानों और परियोजनाओं से यथोचित दूरी पर होने चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि सितम्बर 2006 में एनसीएल से मोहेर तथा मोहेर-अमलोहड़ी के अनारक्षण और सासन यूएमजीपी को आबंटन के परिणामस्वरूप एनसीएल की अमलोहड़ी ओपन-कास्ट परियोजना की चारदीवारी को निजी पार्टी के साथ शेयर करना पड़ा। अतः एनसीएल अपनी अमलोहड़ी ओसीपी के 48 मिलियन टन के कोयला रिज़र्व तक नहीं पहुंच सका। इसके कारण उसका परियोजना जीवन भी 24 से घट कर 20 वर्ष हो गया। इसी प्रकार, एनसीएल की निगाही ओपन कास्ट परियोजना की चारदीवारी शेयर होने के परिणामस्वरूप 9 मिलियन टन तक खनन योग्य आरक्षितों की कमी होगी।

इन सिद्ध कोयला रिज़र्वों द्वारा प्रस्तावित उत्पादन संभाव्य की पिछली उपलब्धि के लिए ऊर्जा समन्वय समिति की प्रत्याशाओं के विपरीत कोई उत्पादन नहीं हुआ। जबकि सीआईएल ने ये कोयला ब्लॉक छोड़ने थे, इन ब्लॉकों से कोई उत्पादन नहीं हुआ। इस प्रकार, शीघ्रता के आधार पर सीआईएल से कोयला ब्लॉकों के अनारक्षण द्वारा कोयला रिज़र्वों की शीघ्र प्राप्ति और उन्हें अन्य पार्टियों को पुनआर्बटन की उम्मीद पूरी नहीं हुई।

सीआईएल को 12 विद्यमान खानों/चल रही परियोजनाओं में उत्पादन कार्यक्रम को आगे बढ़ा कर तथा कोयले के उत्पादन की आउटसोर्सिंग तथा अतिभार के स्थानान्तरण के माध्यम से चार नई परियोजनाएं शुरू करके कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए Xवीं योजना में "आपात उत्पादन योजना " पर कार्य करने के लिए लगाया गया है। आन्तरिक खनन के लिए सीआईएल कोयला ब्लॉकों के अनारक्षण से, यह अनिवार्य था कि अतिरिक्त ब्लॉकों के लिए सीआईएल के अनुरोधों पर प्राथमिकता पर विचार किया जाए।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि अतिरिक्त ब्लॉकों के लिए सीआईएल के अनुरोध एमओसी द्वारा स्वीकार नहीं किए गए थे, उन पर कार्रवाई नहीं की गई थी जिनकी चर्चा नीचे की गई हैः

- सीआईएल ने एमओसी को 57570 मिलियन टन के रिज़र्व के साथ 138 ब्लॉकों के आबंटन का अनुरोध किया (अगस्त 2008)। इसे सीआईएल द्वारा 49790 मिलियन टन के जीआर के साथ 116 ब्लॉकों में संशोधित किया गया (सितम्बर 2011)। तथापि, एमओसी का अन्तिम निर्णय प्रतीक्षित है। इससे सीआईएल के उत्पादन योजनओं पर प्रतिकूल असर पड़ता ।

- एमओसी ने सीआईएल से आरक्षण मुक्त करके कैप्टिव खनन के लिए राजहारा नार्थ ब्लॉक को आबंटन किया (नवम्बर 2008) बावजूद इसके के सीआईएल ने रद्द न करने के लिए अनुरोध किया था (जनवरी 2008) और इससे 400 से अधिक कर्मचारी अधिशेष हुए।

- एमओसी ने मोयरा मोधजोर नार्थ ब्लॉक के कैप्टिव खनन के लिए आबंटन किया (अक्तूबर 2009) जो अन्य भागीदारों के आबंटन सूची में त्रुटिवश शामिल किया गया और ईसीएल द्वारा आरक्षण-मुक्त करने का अनुरोध एमओसी द्वारा अस्वीकार किया गया (जनवरी 2008)। आरक्षण मुक्ति के समय पर, ईसीएल ने पहले ब्लॉक पर आंशिक रूप से काम किया था और ईसीएल के लिए बीआईएफआर के पुनरूद्धार पैकेज के अधीन अपना उत्पादन ठोस रूप से बढ़ाने की आवश्यकता थी (नवम्बर 2004)।

- एसईसीएल के पट्टा खनन के अधीन बेहराबैंड नार्थ और विजय सैन्ट्रल कोयला ब्लॉकों को सीआईएल से आरक्षण-मुक्त किया गया था। इन ब्लॉकों को एसईसीएल के लिए एक अति मशीनीकृत उच्च क्षमता भूमिगत खान के रूप में विकसित किया जाना था। बेहराबैंड नार्थ ब्लॉक को आरक्षण मुक्ति से पहले एसईसीएल द्वारा परिचालित किया गया था। उक्त बलॉक एमओसी द्वारा नवम्बर 2011 तक आबंटित नहीं किये थे और इस प्रकार एसईसीएल से इन ब्लॉकों को आरक्षण मुक्त करने का प्रयोजन ही विफल हो गया।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2012) कि कोयला ब्लॉकों के आबंटन रद्द करने का प्रस्ताव, 2026-27 तक की सीआईएल की योजनाओं का भाग नहीं था और कोयला सैक्टर में सुधारों पर रिपोर्ट बनाने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की कवेल एक सिफारिश थी, जबकि 12वीं योजनावधि और उससे आगे के लिए सीआईएल द्वारा खनन के लिए ब्लॉकों के आबंटन के लिए पहचान एनेर्जी कोआडिनेशन कमेटी (ईसीसी) का निर्णय है, जो विद्युत उपलब्धता में सुधार के लिए है। मंत्रालय ने आगे कहा कि सीआईएल द्वारा आबंटन के लिए निवेदन किये गये ब्लॉकों की संशोधित सूची सरकार के पास विचाराधीन है और इन ब्लॉकों के XIIवीं और XIIIवीं योजनावधि के दौरान उत्पादन की कम संभावना है। जहां तक राजहारा नार्थ, मोयरा मोधूजोर, बेहराबैंड नार्थ और विजय सेन्ट्रल का संबंध है, अन्होंने बताया कि ये ब्लॉक ईसीसी के निर्णय के अनुसरण में सीआईएल/सीएमपीडीआईएल द्वारा ही पहचाने गये थे, जिनका XIIवीं योजना में कैप्टिव प्रयोजनों के लिए आबंटन में और उत्पादन में आने की कम ही संभावना थी। इसके अतरिक्त न्यायालयीन मामलों के कारण बेहराबैंड नार्थ और विजय सैन्ट्रल कोयला ब्लॉकों के आबंटन में विलम्ब हुआ है। 01.11.2011 को प्रमुख सहायक मॉडल में प्रमुख के रूप में सीआईएल/एसईसीएल को विजय सैन्ट्रल ब्लॉक आबंटित किया गया है। एनसीएल से सासन पावर लिमिटेड को भूमि के हस्तांतरण पर एमओसी में परामर्श किया जा रहा था। एनसीएल को कहा गया हे कि कोल बियरिंग अधिनियम के अधीन अधिप्राप्त भूमि के हस्तांतरण का मामला कानून मामलों के विभाग द्वारा दी गई कानूनी सलाह के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए।

निम्न की दृष्टि में मंत्रालय का मत उचित नहीं माना जा सकता है:

- सीआईएल ने बताया (मार्च 2006 और अगस्त 2008) कि XIवीं योजना के अन्त तक उत्पादन प्रयोजन के लिए सीआईएल द्वारा गैर आवश्यक ब्लॉकों को देने का विचार सीआईएल या देश के सर्वोत्तम हित में नहीं था।

- 2006 में सीआईएल द्वारा किए गए अध्ययन ने दर्शाया कि सीआईएल के पास उपलब्ध ब्लाकों से 2016-17 में उत्पादन का अधिकतम स्तर 664 मिलियन टन तक पहुँच जाएगा और इसके

बाद 2021-22 में गिरकर 642 मिलियन टन और 2026-27 में 619 मिलियन टन तक हो जाएगा। यह गिरावट पूर्ण हुई परियोजनाओं की वर्तमान खानों एवं रिजर्वों के समाप्त होने के कारण 2026-27 के बाद बढ़ेगी।

- सीआईएल ब्लाकों के अनारक्षण की सिफारिशे कोयला क्षेत्र सुधार (दिसम्बर 2005) के लिए रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति के विरूद्ध थी, जिन्होने उन सीआईएल ब्लाकों के अनारक्षण की वकालत की थी जिनसे 2026-27 से पहले उत्पादन नहीं किया जा सकता था।

- विद्युत उपलब्धता में सुधार के दृष्टिगत विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण (दिसम्बर 2005) के बाद सीआईएल से कथित 48 ब्लाक लिए जाने के आधार पर ईसीसी ने निर्णय लिया था (फरवरी 2006)। तथापि, जैसा कि ऊपर देखा गया है, अनारक्षण से अभी तक कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

- नीति में दिए गए वर्तमान नियमों के अनुसार चाहे आयात का सहारा लेकर एनसीडीपी 2007 के अनुसार, सीआईएल को भारत में सभी उपभोक्ताओ की कोयले की मांग को पूरा करना है। वास्तव में सीआईएल ने बताया (अगस्त 2008) कि पोर्ट, अवसंरचना और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की उपलब्धता की बाधाओं के कारण मांग और कोयले की घरेलू उपलब्धता के बीच बढ़ते अन्तर से कोयले का आयात भी व्यवहार्य नहीं होगा। महत्वपूर्ण रिजर्व के साथ कई अन्वेषित ब्लाक सीआईएल से ले लिए गए। अब सीआईएल को गैर अन्वेषित ब्लाकों से अपना उत्पादन बढाना होगा, जिसके विकास में अधिक समय लगेगा। 48 सीआईएल ब्लाकों के अनारक्षण के बाद, सीआईएल ने अगस्त 2008 में अतिरिक्त 138 अनन्वेषित ब्लाकों (लगभग 57570 मिलियन टन भूगर्भीय रिजर्व) की मांग की। यह अभी भी एमओसी के विचाराधीन है।

3.6 ओपन कास्ट खानों का उत्पादन निष्पादन

2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान सीआईएल के कुल उत्पादन का 88 से 90 प्रतिशत हिस्सा ओपन कास्ट खानों से प्राप्त हुआ था। उपरोक्त अवधि के दौरान सीआईएल की ओपन कास्ट खानों से उत्पादन नीचे दिया गया है:-

(मिलियन टन में आंकड़े)

कम्पनी	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
ईसीएल		22.20	23.18	15.74	20.34	19.74	21.75	21.83	24.20	23.43
बीसीसीएल	19.59	19.30	20.62	20.75	21.50	21.38	23.45	23.61	24.75	25.31
सीसीएल	39.97	39.36	42.00	42.32	44.74	41.68	46.05	45.61	48.34	46.25
एनसीएल	52.00	52.16	58.00	59.62	61.25	63.65	66.50	67.67	72.00	66.25
डब्ल्यूसीएल	32.10	33.30	32.39	33.53	32.75	34.59	34.85	36.12	36.35	34.95
एसईसीएल	71.00	72.30	74.04	77.05	78.00	83.58	88.50	90.18	93.50	95.90
एमसीएल	77.59	78.03	85.60	85.89	96.11	94.19	107.20	101.88	114.46	98.11
एनईसी	0.90	0.94	1.70	1.01	1.02	0.96	1.20	1.11	1.25	1.10
सीआईएल	**315.72**	**317.59**	**337.53**	**335.91**	**355.71**	**359.77**	**389.50**	**388.01**	**414.15**	**391.30**

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि सीआईएल द्वारा ओपन कास्ट खानों से कोयले के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हुई है। तथापि, 2006-07 से 2010-11 के दौरान उत्पादन में ईसीएल में 9.1 मिलियन टन तक, सीसीएल में 5.88 मिलियन टन तक तथा एमसीएल में 22.86 मिलियन टन तक की कुल कमी हुई है।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2012) कि ईसीएल, सीसीएल तथा एमसीएल की खानों में उत्पादन में कुल कमी मुख्यतः अत्यधिक भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास समस्याओं के कारण थी। इसके अतिरिक्त, कुछ बढ़ते हुए कोयला क्षेत्रों जैसे उत्तरी करनपुरा, ताल्चर, आईबी घाटी तथा मांड रायगढ़ में निकास समस्याओं (रैकों की आपूर्ति) के कारण पिट हैड भण्डार इक्ट्ठे हो गए जिनके परिणामस्वरूप कुछ सहायक कम्पनियों में उत्पादन में रूकावट हुई। तथापि, ओपन कास्ट तथा भूमिगत खानों में समुचित प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, तथा प्रत्येक स्तर पर समुचित मॉनीटरिंग शुरू करके उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

3.6.1 ओवरबर्डेन प्रतिरोधक उत्पादन के हटाने में बैकलाग

ओपन कास्ट खानों में, कोयले तक तभी पहुँचा जा सकता है जब अतिभार[10] (ओबी) हटा दिया जाए। ओबी हटाने के कार्य में बैकलॉग का कोयले के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ओबी हटाने के कार्य में कमी 5 से 12.5 प्रतिशत के बीच थी।

चार सहायक कम्पनियों (ईसीएल,सीसीएल,एनसीएल और डब्ल्यूसीएल) में लेखापरीक्षा में जैसा विश्लेषण किया गया ओबी स्थानांतरण में कमी के कारण निम्नवत थेः

- राजमहल में विभागीय उपस्करों की खराबी और सोनेपुर बाजारी और कोटाडीह (ईसीएल) में श्रम समस्याएं;
- वन अनुमति में विलम्ब और कोनार, नार्थ उरीमारी, कारो और रोहिणी में भूमि की निर्मुक्ति तथा कानून एवं व्यवस्था समस्याओं के कारण (सीसीएल);
- उमरेर में ओबी बेंचों का फिसलना (डब्ल्यूसीएल);
- दूधीचुवा, निगाही, अमलोहरी और बीना में ओबी के स्थानांतरण के लिए ठेका देने में विलम्ब, उपस्करों की आपूर्ति में विलम्ब; शॉवेल्स और डम्परों के खराब निष्पादन और खाडिया में भूमि की निर्मुक्ति (एनसीएल) आदि।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2012) कि ओबी का बैकलाग सामान्यतः औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (एसआर) के आधार पर परिकलित किया जाता है। परियोजना रिपोर्ट परियोजना के समस्त कार्यकाल के लिए केवल एक अनुपात निर्दिष्ट करती है जो सही नहीं है और कार्यचालन की विभिन्न अवस्थाओं में विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान कार्य प्रणाली में स्थिति के आधार पर स्थानांतरित किए जाने वाले ओबी की वास्तविक आवश्यकता का परिकलन किया जाना है और इस नाते परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित एसआर के एक एकल आंकड़े से मेल नहीं हो सकता।

एक वर्ष के अन्त में ओबी हटाने के कार्य में निष्पादन का निर्धारण करने में सीआईएल द्वारा अपनाई गई विधि वह मात्रा है जहां तक ओबी को हटाने का वास्तविक कार्य वर्ष में हटाने के कार्य के लक्ष्य

---

[10] ***चट्टान, भूमि तथा ईको प्रणाली जो कोयला संस्तर अथवा ओर-बॉडी के ऊपर होती है जिसे भूतल खनन के दौरान हटाया जाता है।***

से कम रह जाता है। तथापि, एक विशेष तिथि को ओबी हटाने के कार्य में वास्तविक बैकलॉग ओबी हटाने के कार्य के संचयी बैकलॉग के आधार पर परिकलित किया जाना चाहिए। किसी विशेष वर्ष में ओबी हटाने के कार्य का संचयी बैकलॉग परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित औसत स्ट्रिपिंग अनुपात के अनुसार उस वर्ष तक हटाने के लिए अपेक्षित ओबी की कुल मात्रा में से उस वर्ष तक हटाई गई ओबी की कुल मात्रा को घटा कर निकाला जाता है। ओबी हटाने के कार्य में संचयी बैकलॉग सीआईएल द्वारा परिकालित बैकलॉग से अधिक होगा क्योंकि हटाने का लक्षित कार्य सामान्यतः कम होता है क्योंकि यह वर्तमान खुदाई और परिवहन क्षमताओं पर आधारित है न कि परियोजना रिपोर्ट में दी गई औसत एसआर (कोयले की ओबी) पर। संचयी बैकलॉग एक ओपन कास्ट खान में खनन की सही स्थिति को भी दर्शाता है।

प्रबंधन को वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत एक एकल अनुपात अपनाने के बजाय कामकाज की विभिन्न अवस्थाओं में स्ट्रिपिंग अनुपात को भंग करने की प्रणाली को सुधारना चाहिए।

3.7 भूमिगत खानों का निष्पादन उत्पादन

भूमिगत खनन में, छिद्रों का भेदन किया जाता है तथा उन्हें प्रतिपादित कोयला संस्तरों में ब्लास्ट किया जाता है। ब्लास्ट की गई सामग्री का परम्परागत अथवा यंत्रीकृत/अर्ध यंत्रीकृत विधि के माध्यम से खनन किया जाता है और उसे हस्त्य रूप से अथवा यांत्रिक रूप से लोड किया जाता है तथा कनवेयर्स द्वारा भूमि के नीचे से भूतल पर लाया जाता है और क्रशिंग, सम्भावित भण्डारण और प्रेषण के लिए ले जाया जाता है।

2006-07 से 2010-11 के दौरान, 2.36 मिलियन टन के क्षमता संवर्धन के साथ सात भूमिगत परियोजनाएं ₹ 253.01 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय के साथ पूरी की गई थी। 2006-07 से 2010-11 तक सीआईएल सहायक कम्पनियों की भूमिगत खानों का उत्पादन निष्पादन निम्न तालिका में दिया गया है:

भूमिगत खानों के लक्ष्य एवं प्राप्तियां

(मिलियन टन में आंकड़े)

सहायक कम्पनिया/ सीआईएल	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
ईसीएल	10.43	8.27	10.23	8.32	10.66	8.39	9.25	8.23	9.50	7.37
बीसीसीएल	5.61	4.90	4.58	4.46	5.00	4.13	4.55	3.90	4.25	3.70
सीसीएल	2.03	1.96	2.00	1.83	2.26	1.56	1.95	1.47	1.66	1.27
एनसीएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
डब्यूसीएल	9.90	9.92	10.01	9.98	10.30	10.11	10.15	9.62	10.15	8.71
एसईसीएल	17.50	16.20	17.46	16.74	18.00	17.57	17.50	17.83	18.50	16.80
एमसीएल	2.41	1.97	2.40	2.12	2.89	2.15	2.10	2.20	2.29	2.17
एनईसी	0.20	0.11	0.30	0.09	0.18	0.05	0.00	0.00	0.00	0.002
सीआईएल	**48.08**	**43.32**	**46.98**	**43.54**	**49.29**	**43.96**	**45.50**	**43.25**	**46.35**	**40.02**

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है कि भूमिगत खानों से उत्पादन 2006-07 से 2009-10 तक लगभग 43 मिलियन टन पर स्थिर रहा तथा 2010-11 में यह घट कर 40 मिलियन टन हो गया जो 2010-11 में सीआईएल के कुल उत्पादन का 9.28 प्रतिशत था।

3.8 कोयले को धोना

प्रमुख कोयला निर्यातक देशों के कोयले की तुलना में भारतीय कोयले में राख की मात्रा का प्रतिशत अधिक होता है। इसीलिए इस्पात (कोकिंग कोल) तथा विद्युत (नॉन- कोकिंग कोल) क्षेत्रों में अधिक निरन्तर ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोयले को धो लेना आवश्यक हो जाता है। सीआईएल की विद्यमान वाशरीज कोयला धोने की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ थीं तथा निजी क्षेत्र की वाशरीज पर निर्भर थीं।

कमी को पूरा करने के लिए सीआईएल ने प्रति वर्ष 111 मिलियन टन की कुल क्षमता वाली 20 कोल वाशरीज स्थापित करने का निर्णय लिया जिसमें से प्रति वर्ष 21.1 मिलियन टन की कुल क्षमता वाली सात कोकिंग कोल वाशरीज थीं तथा 13 प्रति वर्ष 90 मिलियन टन की कुल क्षमता वाली नान कोकिंग वाशरीज थीं। वाशरीज को बिल्ड, ऑपरेट तथा मेनटेन से विकसित किया जाना था। धुले हुए कोयले के उत्पादन में प्रस्तावित वृद्धि के सीआईएल के प्रयास अभी तक प्रक्रियाधीन थे (फरवरी 2012)।

मंत्रालय ने वाशरी परियोजनाओं को लागू करने में विलम्ब का दोष वानिकी/पर्यावरण अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण, पुनः निविदाकरण, निविदा के मूल्यांकन आदि पर लगाया गया (फरवरी 2012)।

3.9 उत्खनन एवं परिवहन क्षमताओं का बेमेल

खुदाई तथा परिवहन क्षमताओं में तुल्यकालन अपेक्षित होता है। सीएमपीडीआईएल द्वारा खुदाई तथा परिवहन के लिए एक पृथक परियोजना की खनन क्षमता का निर्धारण हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) की संख्या और उनकी क्षमता दोनों के संदर्भ में किया जाता है।

सीएमपीडीआईएल ने सूचित किया (मार्च 2011) कि 31 परियोजनाओं में उत्खनन क्षमता परिवहन क्षमता से अधिक थी और 12 परियोजनाओं में उत्खनन क्षमता परिवहन क्षमता से कम थी। इस बेमेल से एक ओर उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है जहाँ उत्खनन क्षमता अधिक थी किन्तु उसका उपयोग नहीं हुआ था जिसके कारण पिट हैड पर संचय हो गया। दूसरी तरफ, जहाँ परिवहन क्षमता अधिक थी, सीआईएल बढ़े हुए उत्पादन के लिए डम्पर और शोवेल का उपयोग नहीं कर सका।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2012) कि उत्खनन और परिवहन क्षमताओं के बेमेल को दूर करना यथा सम्भव व्यवहार्य चालू प्रक्रिया थी। इसे यथासम्भव एक खान से अन्य तक वर्तमान उपस्कर के बदलाव, उपस्कर जिन्होंने निर्धारित जीवनकाल कवर कर लिया है का सर्वेक्षण कर और प्रतिस्थापन उपस्कर उपलब्ध करा कर प्राप्त किया गया था।

3.10 एचईएमएम की कम उपलब्धता और कम उपयोग

2011-12 में सीआईएल द्वारा कोयला उत्पादन के 520.50 मिलियन टन के मूल XI योजना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एमओसी ने " भारत में कोयला उद्योग का विहंगावलोकन " (जून 2007) पर अपनी रिपोर्ट में सीआईएल के लिए एचईएमएम के कतिपय संख्या की परिकल्पना की। उपरोक्त रिपोर्ट में परिकल्पित संख्या की तुलना में 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान सीआईएल में एचईएमएम की वास्तविक संख्या नीचे यथावत है:

उपस्कर का नाम	31 मार्च 2007 को	31 मार्च 2008 को	31 मार्च 2009 को	31 मार्च 2010 को	31मार्च 2011 को	31 मार्च 2012 को एमओसी द्वारा परिकल्पित संख्या
ड्रेगलाइन	41	41	40	40	40	**119**
शोवेल	686	687	703	747	754	**843**
डम्पर	3364	3240	3293	3366	3217	**3555**
डोजर	989	998	1025	991	981	**805**
ड्रिल	**696**	**744**	**754**	**713**	**709**	**655**

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि ड्रेगलाइन की संख्या में काफी कमी है उसके बाद शोवेल एवं डम्पर की संख्या है। डम्परों एवं डोजरों की संख्या में गिरावट है।

एचईएमएम की उपलब्धता और उपयोग प्रतिशतता के प्रतिमान सीएमपीडीआईएल द्वारा 1986 में पहले नियत किए गए थे और आज तक (नवम्बर 2011) उसमें संशोधन नहीं किया गया है। प्रौद्योगिकी में सुधार और एचईएमएम के निष्पादन में उपलब्धता की वास्तविक प्रतिशतता और ऐसे प्रतिमानों के साथ उपयोग की तुलना से एचईएमएम की उपलब्धता एवं उपयोग की वास्तविक स्थिति का चित्रण नहीं हुआ होगा।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सीआईएल वास्वतिक प्रतिशतता को चित्रण करने के बजाय सीएमपीडीआईएल प्रतिमानों की प्रतिशतता के रूप में एचईएमएम की उपलब्धता एवं उपयोग चित्रित करता है। लेखापरीक्षा ने सम्पूर्ण रूप में सीआईएल में एचईएमएम की उपलब्धता एवं उपयोग की वास्तविक प्रतिशतता का पुनः परिकलन किया और सीएमपीडीआईएल प्रतिमानों के साथ उसकी तुलना की। परिणाम नीचे दी गई तालिका में दर्शाये गए हैं:

संख्या	उपस्कर	उपलब्धता प्रतिशतता		उपयोग प्रतिशतता	
		सीएमपीडीआईएल प्रतिमान	2006-07 से 2010-11 के दौरान वास्वतिक	सीएमपीडीआईएल प्रतिमान	2006-07 से 2010-11 के दौरान वास्वतिक
1	ड्रेगलाइन	85	78-85	73	66-78
2	शोवेल	80	72-74	58	45-49
3	डम्पर	67	66-67	50	35-37
4	डोजर	70	64-65	45	27
5	ड्रिल	78	75-77	40	29-31

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि उपलब्धता की प्रतिशतता सभी पाँच उपस्करों के लिए प्रतिमानों से सामान्यतया कम थी तथा उपयोग की प्रतिशतता ड्रेगलाइन के मामले को छोड़कर प्रतिमानों से काफी नीचे थी।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2012) कि उपलब्धता एवं उपयोग के लिए सीएमपीडीआई प्रतिमानों की समीक्षा से सम्बन्धित मामला सीएमपीडीआई के साथ शीघ्र लिया जाएगा। मंत्रालय ने आगे स्वीकार किया (फरवरी 2012) कि उपस्कर का उपयोग भूमि अधिग्रहण समस्याओं के कारण मुख्यतः प्रभावित हुआ था जिसके परिणामस्वरूप कार्य के स्थान की कमी हुई, कानून एवं व्यवस्था के परिणामस्वरूप कार्य बंद हुए,कठिन भूगर्भीय खनन दशा-त्रुटियों का होना, विकसित अन्डर-ग्राउन्ड पिलरों पर कार्य,

जिससे प्रचालन धीमा होता है और ब्रेकडाउन में वृद्धि हुई, कार्य करते समय सक्रिय अग्नि का होना, नजदीक के निवासियों से निषिद्ध ब्लास्टिंग आदि।

3.11 नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब

कोयले के मांग आपूर्ति अन्तर को पूरा करने के लिए, नई कोयला परियोजनाओं को एक समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाना अपेक्षित है। विशेषज्ञ समिति ने XI योजना के अन्त तक पूरी की जाने वाली सभी परियोजनाओं के अनुमोदनों ओर परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति मॉनीटर करने के लिए एक स्थायी विशेष कार्यदल के गठन पर ज़ोर दिया (दिसम्बर 2005) ताकि घरेलू कोयला उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए आपात उत्पादन योजना सहित सीआईएल की उत्पादन योजनाओं को पूरा किया जा सके। कार्रवाई टिप्पणी में, एमओसी ने बताया (जनवरी 2012) कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से उत्तर अपेक्षित है।

वास्तव में, विशेषज्ञ समिति की सिफारिश का अनुपालन अभी किया जाना है क्योंकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के दृष्टांत थे।

लेखापरीक्षा ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब और कोयले के उत्पादन पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया। यह देखा गया था कि सीआईएल की विभिन्न सहायक कम्पनियों के अन्तर्गत 32 परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, वन अनुमोदन, प्रतिकूल भू-खनन स्थिति, उपस्कर हेतु निविदा को अन्तिम रूप देने तथा कोयला संचालन संयंत्र (सीएचपी) एवं रेलवे साइडिंग के निर्माण में 1 से 12 वर्ष का विलम्ब था जिसके कारण उत्पादन में 115.95 मिलियिन टन की हानि हुई।

अध्याय 4 केप्टिव कोयला ब्लॉकों का आबंटन

केप्टिव कोयला खनन एक तंत्र है जो कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए कोल इण्डिया लिमिटेड की सीमाओं के कारण कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों जैसे विद्युत इस्पात एवं सीमेंट को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया था। कोयला क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने तथा एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। "2012 तक सब को बिजली" के घोषित उद्देश्य से सरकार ने विद्युत तथा अन्य क्षेत्रों के लिए केप्टिव खनन हेतु बड़े स्तर पर कोयले के आबंटन का कार्य शुरू किया।
इस अध्याय में केप्टिव कोयला ब्लॉकों के आबंटन हेतु अपनाई गई पद्धतियों में "वस्तुनिष्ठता" तथा "पारदर्शिता" सुनिश्चित करने में सरकार के प्रयासों का विश्लेषण करता है।

4.1 केप्टिव कोयला ब्लॉकों के लिए आबंटन पद्धति

1993 तक, कोयला ब्लॉकों के आबंटन हेतु कोई विशिष्ट मानदण्ड निर्धारित नहीं था। अधिकतर आबंटन संबंधित राज्य सरकार से सिफारिश के पत्रों के आधार पर किए गए थे जो यह दर्शाता है कि पार्टी निर्दिष्ट क्षमता की अन्तिम प्रयोग परियोजना को स्थापित करने की योजना बना रही थी। 1993 से, एमओसी ने सीआईएल/सीएमपीडीआईएल तथा एससीसीएल के परामर्श से उन कोयला ब्लॉकों की पहचान करता है जो कोयले के उपयोग हेतु पात्र कम्पनियों को केप्टिव खनन के लिए आबंटित किए जा सकते है। कोयला ब्लॉकों का आबंटन एमओसी द्वारा सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में इन्टर मिनिस्टीरियल स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों अथवा सीधे आबंटन के आधार पर किया जाता है। प्रत्यक्ष आबंटन केप्टिव उपयोग अथवा वाणिज्यिक खनन के लिए केवल पीएसईज़ के लिए ही किया गया था। उक्त आबंटन को सरकारी व्यवस्था मार्ग कहा जाता है जबकि स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से आबंटन को केप्टिव कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय के प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों (टैरिफ आधारित बोली) के अनुसार ब्लॉक यूएमपीपीज़ के लिए आबंटित किए जाते हैं।

स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा चयन हेतु मानदण्ड नीचे दिए गए हैं:

- केप्टिव कोयला ब्लॉक कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल)/सिंगरेनी कोलरीज़ कम्पनी लिमिटेड (एससीसीएल) में प्रचलित लिंकेज को प्रभावित किए बिना अन्त-उपयोग कर्ताओं के लिए लागू किए जा सकते हैं।

- सीआईएल/एससीसीएल के साथ अग्रणी साझीदार के रूप में संयुक्त उद्यमों में केप्टिव खनन की अनुमति प्रदान करना।

- सरकार द्वारा निर्धारित अन्तरण कीमत पर सीआईएल तथा/अथवा एससीसीएल को बेचे जाने वाले खनन विकास चरण के दौरान उत्पादित कोयले की अनुमति प्रदान करना।

- बैंक गारंटी द्वारा समर्थित विधिवत समर्थित खनन योजना के कार्यान्वयन हेतु अवधि निर्दिष्ट करना।

- विभिन्न चरण, जिनके कारण कोयले का उत्पादन हुआ, प्राप्त करने के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन न करने के लिए आबंटन को रद्द करने के लिए प्रावधान निर्दिष्ट करना।

- एमओसी द्वारा तथा कोयला नियंत्रक द्वारा प्रगति की मॉनीटरिंग के लिए प्रावधान करना।

फतेहपुर और रैम्पिया तथा रैम्पिया के डीपसाइड के संबंध में एमओसी द्वारा अनुरक्षित फाइल/दस्तावेजों के नमूना जाँच की अप्रैल, 2012 में हुई लेखापरीक्षा द्वारा पता चलता है कि:

- फतेहपुर के कोयला ब्लाक के मामले में, कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए विज्ञापन के प्रति 69 आवेदन प्राप्त हुए। 69 आवेदकों में से केवल 36 आवेदकों को ही जाँच समिति के समक्ष प्रस्तुति के लिए अनुसूचित किया गया था। जाँच समिति ने एस. के. एस. इस्पात एवं पावर लिमिटेड तथा प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को फतेहपुर कोयला ब्लाक के आबंटन के लिए सिफारिश की।

- इसी तरह रैम्पिया और रैम्पिया कोयला ब्लाक के डीपसाईड कोयला ब्लॉक के मामले में, कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए विज्ञापन के प्रति 108(67+41) आवेदन प्राप्त हुए। इन सभी 108 आवेदकों में से केवल 2 आवेदक ही जाँच समिति के समक्ष प्रस्तुति के लिए अनुसूचित किए गये। जाँच समिति ने हालांकि, रैम्पिया और रैम्पिया डीपसाईड कोयला ब्लॉकों के गर्त क्षेत्र के आबंटन के लिए छः कम्पनियों (नामतः स्टर्लाइट एनर्जी लिमिटेड, जीएमआर एनर्जी लिमिटेड, लैंको ग्रुप लिमिटेड, नवभारत पावर लिमिटेड, मित्तल स्टील इंडिया लिमिटेड और रिलायंस एनर्जी लिमिटेड) की सिफारिश की।

यह भी देखा गया कि उस कोयला ब्लॉक के लिए जाँच समिति ने सभी आवेदकों में से विशेष आबंटी/आबंटियों को उस कोयला ब्लॉक के आबंटन की सिफारिश जाँच समिति की बैठक की कार्यवृत्त के आधार पर किया। हालांकि, उक्त कार्यवृत्त या कोयला ब्लॉक के लिए किसी आवदकों के तुलनात्मक मूल्यांकन के अन्य दस्तावेजों में ऐसा कुछ रिकार्ड में नहीं था जिस पर जाँच समिति आश्रित रही थी। जाँच समित की कार्यवृत्त में यह नहीं लिखा कि एक विशेष कोयला ब्लॉक के लिए हर आवेदक का मूल्यांकन किया गया था। इस प्रकार, कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए एक पार्रदर्शी विधि का स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुसरण नहीं किया गया था।

4.2 कोयला ब्लॉकों का प्रतिस्पर्धी बोली पर पॉलिसी का मूल्यांकन

X वीं योजना में और उसके बाद, ब्लॉकों की उपलब्धता की तुलना में देश में कोयले की बढ़ती माँग के कारण कोयला ब्लॉकों के लिए आवेदकों की संख्या में वृद्धि हुई। चयन की प्रक्रिया को तत्काल करने की आवश्यकता थी जोकि न केवल उद्देश्यपूर्ण हो बल्कि पारदर्शी भी हो। प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से आबंटन की अवधारणा को सरकार द्वारा पहली बार 28 जून 2004 को सार्वजनिक किया गया। इसके अलावा इस संबंध में 2012 तक घटनाओं का अनुक्रम नीचे दिया गया है:

तारीख	प्रतिस्पर्धी बोली के मुद्दे पर घटनाएं
28.06.2004	प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से केप्टिव कोयला ब्लॉकों के आबंटन की अवधारणा पहली बार सार्वजनिक हुई।
16.07.2004	सचिव (कोयला एवं खान) द्वारा एमओएस को भेजा गया "कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली" पर समग्र टिप्पणी जिसमें उल्लेख था कि "..... सीआईएल द्वारा आपूर्त कोयले के मूल्य और आन्तरिक खानों के माध्यम से उत्पादित कोयले की लागत के बीच एक बड़ा अन्तर था और जैसा कि पार्टी, जिसकों केप्टिव ब्लाक आबंटित किया गया था को एक **अप्रत्याशित लाभ** हुआ....." टिप्पणी में यह भी संकेत मिला" .....सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए बोली लगाने की प्रणाली **अप्रत्याशित लाभ** के कुछ भाग को ही नियंत्रित करेगी..."
30.07.2004	सचिव (कोयला) ने उल्लेख किया कि परिवर्तित परिदृश्य में वर्तमान आबंटन प्रणाली, परिवर्धन के साथ भी आबंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता के उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगी।
20.08.2004	मंत्री (कोयला एवं खान) ने निर्देश दिया कि विचार और निर्णय के लिए कैबिनट के समक्ष रखने के लिए एक मसौदा कैबिनेट नोट तैयार किया जाना है।
11.09.2004	पीएमओ से प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा कोल ब्लॉकों के आबंटन से होने वाले कतिपय नुकसानों का वर्णन करने वाला नोट जारी हुआ।
25.09.2004	इसके उत्तर में, सचिव (कोयला) ने एमओएस को मसौदा कैबिनट इस टिप्पणी के सांथ प्रस्तुत किया कि उठाई गई आपत्तियों में शायद ही कोई लाभ हो। जाँच समिति द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार के खींचतान और दबावों के अनुभव पर भी प्रकाश डाला गया। टिप्पणी ने प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर लंबित आवेदनों के संबंध में निर्णय लेने की वांछनीयता पर बल दिया।
04.10.2004	एमओएस ने कहा कि प्रतिस्पर्धी बोली के लिए प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि इससे ब्लॉकों के आबंटन में और भी विलम्ब होगा, यह मानते हुए कि कोयला खानों (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक 2000 पर विचार करते हुए प्रतिस्पर्धी बोली, वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए ब्लॉकों के आबंटन के लिए चयन प्रक्रिया के रूप में ट्रेड यूनियन और अन्य संबद्धों से कड़े विरोध के साथ राज्यसभा में लंबित था। एमओएस इन विचारों से असहमत थी कि जाँच समिति पारदर्शी निर्णय सुनिश्चित नहीं कर सकती और कहा कि यह अकेला एक नए तंत्र के बदलाव के लिए पर्याप्त आधार नहीं था।
15.10.2004	सचिव (कोयला) ने कहा कि प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कोयला ब्लॉकों की आबंटन नीति पर प्रधानमंत्री कार्यालय में चर्चा की गई और यह महसूस किया गया कि चूँकि वर्तमान नीति के आधार पर आवेदकों ने ब्लॉकों के आबंटन के लिए अनुरोध किया था अतः मौजूदा नीति के आधार पर प्राप्त आवेदन के संबंध में प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से आबंटन नीति में बदलाव उपयुक्त नहीं होगा।

	तद्नुसार प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से आबंटन नीति क्रमानुसार की जा सकती है और लंबित आवेदनों को मौजूदा नीति के आधार पर तया किया जाना चाहिए। अतः वर्तमान नीति और प्रस्तावित संशोधित नीति के अनुसार विचाराधीन आवेदनों के लिए अंतिम तारीख 28जून 2004 लिया गया था।
01.11.2004	पीएमओ ने सचिव (कोयला) को निम्निलिखित को ध्यान में रखते हुए कोयला और खान मंत्री के अनुमोदन के लिए मसौदा मंत्रिमंडल टिप्पणी में संशोधन के लिए निदेश दिया: • प्रतिस्पर्धी बोली के लिए नियत तारीख • यह तथ्य कि मंत्रालय ने कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन बिल 2000 का पहले ही प्रस्ताव किया था जिसमें वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कोयला ब्लॉकों के आबंटन हेतु चयन प्रक्रिया के रूप में प्रतिस्पर्धी बोली विनिर्दिष्ट किया था। • केप्टिव खनन के लिए कोयला ब्लॉकों के आबंटन की नीति में परिवर्तन पुरोलक्षी प्रभाव से किया जाएगा। पीएमओ ने बताया, " .....केप्टिव माइनिंग के लिए कोल ब्लॉकों के आबंटन की नीति में परिवर्तन भविष्यप्रभावी रूप में किए जायेगें, इसलिए मामले में कोई तात्कालिकता नहीं है। तद्नुसार, अध्यादेश के माध्यम से कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम में अपेक्षित संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। आगामी संसद सत्र में प्रस्तावित किए जाने वाले बिल के माध्यम से अपेक्षित संशोधन करना उपयुक्त होगा।....."
25.2.2005	संशोधित मसौदा मंत्रिमंडल टिप्पणी के पुनः प्रस्तुत करने (23 दिसम्बर 2004) पर कोयला मंत्री ने राय दी कि वे एमओएस द्वारा दिनांक 04 अक्तूबर 2004 की उनकी टिप्पणी में व्यक्त विचार से पूरी तरह सहमत थे और इस नाते प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
07.03.2005	सचिव (कोयला) ने यह बताते हुए एमओएस को मसौदा मंत्रिमंडल टिप्पणी के लिए टिप्पण प्रस्तुत किया कि 28 जून 2004 को प्राप्त सभी आवेदनों पर निर्णय मार्च 2005 के अंत तक लिए जाएंगे यदि कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए संशोधित पद्धति अति शीघ्रता से प्रस्तुत नहीं की जाती तो वर्तमान पद्धति जारी रखने के लिए सरकार पर पुनः जोर पड़ेगा जो कोयला ब्लॉकों के आबंटन में पूर्ण पारदर्शिता लाने के हित में अभीष्ट नही हो सकता।
16.03.2005	पीएमओ ने सूचित किया कि मसौदा मंत्रिमंडल टिप्पणी को अद्यतन किया जाए और तत्काल भेजा जाए।
24.3.2005	पीएमओ ने मंत्रालय (कोयला) द्वारा अद्यतन किए गए मसौदा मंत्रिमंडल टिप्पणी का अनुमोदन सूचित किया।
21.06.2005	कोयला मंत्री की टिप्पणियों के साथ विभिन्न राज्यों के विचार और मंत्रालयों तथा विभागों की टिप्पणियां शामिल करते हुए मसौदा मंत्रिमंडल टिप्पणी मंत्री (कोयला)

	के अनुमोदन के लिए एमओएस के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसमें यह उल्लेख था कि यह अभीष्ट था कि बोली मार्ग के माध्यम से केप्टिव ब्लाक के आबंटन पर निर्णय शीघ्र लिया जाता है ताकि कोयला ब्लॉकों के आबंटन की प्रक्रिया अबाधित जारी की जा सके।
04.07.2005	एमओएस ने एमओसी को अपनी टिप्पणी में *अन्य बातों के साथ-साथ* बताया कि मंत्रिमंडल द्वारा ऐसे निर्णय के निहितार्थ को अत्यधिक विस्तार से विचार करने की आवश्यकता थी और कि लागत निहितार्थ के कारण प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली में भाग लेने के लिए विद्युत उपयोगिताओं की ओर से सामान्य निरूत्साह था।
25.07.2005	पीएमओ द्वारा की गई बैठक जहाँ यह निर्णय लिया गया था कि एमओसी को राज्य सरकारों जहाँ कोयला ब्लाक अवस्थिति थे के विषयों की मंत्रिमंडल टिप्पणी में संशोधन करना होगा। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 को प्रस्तावित प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के प्रचालनात्मक होने से पहले संशोधन करने की आवश्यकता होगी। चूँकि इसमें यथेष्ट समय लगने की सम्भावना थी इसलिए यह निर्णय लिया गया था कि एमओसी नई प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया प्रचालनात्मक होने तक वर्तमान स्क्रीनिंग समिति के माध्यम से केप्टिव खनन के लिए कोयला ब्लाक आबंटन करने के लिए जारी रखा होगा। बैठक में, सचिव (कोयला) ने कहा कि, ".....प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रकिया सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए बनी स्क्रीनिंग कमेटी के तहत केप्टिव कोल ब्लॉक जिन कम्पनियों को दिए गए उनके द्वारा उपार्जित **अप्रत्याशित लाभ** के अंश को ही नियंत्रित करेगी।
09.08.2005	पीएमओ ने 25 जुलाई 2005 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार तत्काल कार्रवाई करने हेतु एमओसी से अनुरोध किया।
12.01.2006	एमओएस ने बताया कि पीएमओ ने कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के संशोधन करने के लिए विचार किया था जो समय लगने वाली प्रक्रिया थी और इस प्रकार वर्तमान तंत्र के अन्तर्गत केप्टिव कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए विभाग को अनुमत किया था। एमओएस ने बताया कि, ".....कई आवेदन पहले प्रस्तावित कोयला एवं लिग्नाइट ब्लॉकों के संबंध में प्राप्त हुए थे और जो प्रक्रियाधीन थे और इस प्रकार विषय में तत्कालिकता नहीं थी और कि अन्तर्ग्रस्त मुद्दों को ध्यान देते हुए उपयुक्त समय में टिप्पणी पुनः प्रस्तुत की जाए।".....
07.02.2006	सचिव (कोयला) ने माननीय एमओएस के माध्यम से यह बताते हुए एक टिप्पणी प्रस्तुत की थी कि पीएमओ मंत्रिमंडल टिप्पणी को शीघ्र प्रस्तुतिकरण के लिए दबाव डाल रहा था। मंत्री (कोयला) ने मामला 7 मार्च 2006 को देखा।
16.03.2006	सचिव (कोयला) ने मंत्रिमंडल सचिवालय को एक अंतिम टिप्पणी की प्रस्तुति का अनुमोदन किया।
07.04.2006	पीएमओ में हुई एक बैठक जहाँ सामान्यतः अनुभव किया गया था कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम), 1957 में

	संशोधन करने के लिए अधिक उपयुक्त होगा ताकि प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली की प्रणाली पूर्वोक्त अधिनियम द्वारा कवर किए गए सभी खनिजों के लिए लागू हो सकती थी।
20.04.2006	सचिव (कोयला) ने प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के लिए एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के प्रस्तावित संशोधन की कानूनी व्यवहार्यता पर विधि मामले विभाग की टिप्पणियाँ प्राप्त करने के अनुरोध के साथ खान मंत्रालय को एक मसौदा टिप्पणी अनुमोदित की थी।
27.04.2006	एमओएस की राय थी कि एमएमडीआर अधिनियम के संशोधन करने के मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि इसमें राज्य सरकारों की वर्तमान शक्तियों का वापस लेना अन्तर्ग्रस्त है और इसमें विवादास्पद मुद्दा होने की सम्भावना थी। कोयला मंत्रालय ने बताया कि एमओएस द्वारा व्यस्त विचार उपयुक्त थे और एमओसी को सुझाव देने से बचना चाहिए जिसका संघीय राज्य के लिए उलझाव था।
02.05.2006	मंत्री (कोयला) की सलाह अस्थायी मसौदा में उपयुक्त आशोधन सुझाव करने के लिए खान मंत्रालय को भेजी गई थी। खान मंत्रालय के सुझावों के साथ मसौदा प्रस्तावित संशोधन की कानूनी व्यवहार्यता पर उनके विचार के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय, कानूनी मामले विभाग को सन्दर्भित किया गया था।
15.09.2006	एमओसी ने पीएमओ एवं मंत्रिमंडल सचिवालय को संसूचित किया कि विधि एवं न्याय मंत्रालय ने प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के लिए एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के संशोधन के लिए उपयुक्त उपाय की पहल करने के लिए एमओसी को सलाह दी है।
17.10.2008	एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में संशोधन करने के लिए एक बिल खान मंत्रालय द्वारा संसद में लाया गया था।
31.10.2008	संशोधन बिल जाँच-पड़ताल करने एवं सूचित करने के लिए कोयला एवं इस्पात की स्थायी समिति को सन्दर्भित किया गया था।
19.02.2009	स्थायी समिति ने संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कतिपय सिफारिश की।
10.08.2009	एमओएस ने कोयला एवं लिग्नाइट वाले राज्यों के राज्यमंत्रियों, खनन एवं भूविज्ञान के साथ एक बैठक की।
18.02.2010	मंत्री (खान) ने मंत्रिमंडल अनुमोदित (28 जनवरी 2010) मंत्रिमंडल टिप्पणी के बाद संसद (2010) के बजट अधिवेशन में एमएमडीआर संशोधन बिल, 2008 के मोशन फार-पैसेज प्रस्तुत किया।
09.09.2010	एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2010 को मानसून अधिवेशन (26 जुलाई 2010 से 31 अगस्त 2010) में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद भारत के गजट (असाधारण) में अधिसूचित किया गया।

22.09.2010	सचिव (कोयला) ने कोयला एवं लिग्नाइट ब्लॉकों के आबंटन के लिए चयन प्रक्रिया के रूप में प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के लिए पद्धतियों को अंतिम रूप देने पर विभिन्न मुद्दों की चर्चा के लिए विद्युत, खान, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, इस्पात मंत्रालयों औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग और योजना आयोग के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।
31.01.2011	समिति की बैठक में मसौदा बोली दस्तावेज चर्चा किए गए थे।
25.07.2011	प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली पर आगे चर्चा करने के लिए मंत्री (कोयला) द्वारा पणधारियों के साथ एक बैठक बुलायी गई थी।
02.02.2012	एमएमडीआर अधिनियम, कोयला खानों की प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली द्वारा नीलामियों के नियम में संशोधन अधिसूचित किए गए थे।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ उभरती हैं।

- सरकार ने 28 जून 2004 को कट ऑफ तारीख के रूप में लेते हुए कोयला ब्लॉकों की आबंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठा लाने का निर्णय लिया। इस प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर विलम्ब हुआ था। सात वर्षों के बीतने के पश्चात् भी इसे अभी मूर्त रूप दिया जाना है (फरवरी 2012)। सचिव (कोयला) की टिप्पणी के अनुसार सितम्बर 2004 तक प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए उपाय किए जा सकते थे। संशोधित क्रियाविधि को शीघ्र लाने की आवश्यकता थी ताकि प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से कट ऑफ तारीख के बाद केप्टिव कोयला ब्लॉकों के आबंटन का अगला दौर था।

- एमओसी ने राय माँगने के लिए जून 2004 में कानूनी मामले विभाग (डीएलए) को कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया चालू करने का विषय भेजा कि क्या कोयला ब्लाक खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम), 1957 और खनिज रियायत नियमावली 1960 के साथ पठित कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (सीएमएन अधिनियम) के अन्तर्गत नियम बनाते हुए नीलामी/प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली माध्यम से आबंटित किए जा सकते थे। कई पत्राचारों के बाद और दो वर्षों के बाद डीएलए ने बताया (28 जुलाई 2006) कि यह प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से आंतरिक उपयोग के लिए कोयला खनन ब्लॉकों की नीलामी शुरू करने के लिए सरकार के पास खुला था क्योंकि आबंटन की चयन प्रक्रिया वर्तमान प्रशासनिक अनुदेशों का संशोधन कर सम्भव थी और ऐसी प्रक्रिया भारतीय ठेका अधिनियम, 1872 के प्रावधानों से शासित हो सकती थी। **इस प्रकार, प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली को 2006 में प्रारंभ किया जा सका (2006 में डीएलए की सलाह पर)।** डीएलए ने यह भी बताया कि वह रास्ता जिसे वर्तमान मामले में अपनाया गया था, उदाहरणार्थ *अर्थात्-* अधिनियम में संशोधन करना अथवा प्रशासनिक अनुदेशों में परिवर्तन करना नीतिगत विषय था जिसे मंत्रालय को भेजकर निर्णीत करना था। वही राय अगस्त 2006 में विधि सचिव द्वारा दोहरायी गई थी।

- **ऐसी स्पष्ट सलाह के बावजूद, एमओसी स्क्रीनिंग समिति के माध्यम से कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए आगे बढ़ा और 38 कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए सितम्बर 2006 में विज्ञापन दिया और यह प्रक्रिया 2009 तक चली थी।**

- डीएलए (28 जुलाई 2006) की स्पष्ट सलाह के बावजूद कि एमओसी को वर्तमान प्रशासनिक अनुदेशों में संशोधन कर आबंटन की चयन प्रक्रिया के रूप में प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से केप्टिव उपयोग के लिए कोयला खनन ब्लाक की नीलामी शुरू करनी थी, इस विषय की लम्बी कानूनी जाँच-पड़ताल हुई थी जिससे कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के साथ आगे बढ़ने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में विलम्ब हुआ।

- **जून 2004 तक 39 कोयला ब्लाक (निवल) आबंटित हो गया था और जुलाई 2004 से सितम्बर 2006 तक की अवधि के दौरान (प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली की शुरूवात के लिए एमएमडीआर अधिनियम के संशोधन के मामले पर कार्रवाई करने के लिए मामला खान मंत्रालय को सन्दर्भित किए जाने तक) 71 अतिरिक्त ब्लाक (निवल) आबंटित किए गए थे। कुल मिलाकर जुलाई 2004 से 142[11] कोयला ब्लाक (निवल) आबंटन की वर्तमान प्रक्रिया जिसमें पारदर्शिता, उद्देश्यपूर्णता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता का अभाव था के बाद विभिन्न सरकारी एवं निजी पक्षकारों को आबंटित किए गए थे। स्थिति नीचे की तालिका में दर्शायी जाती है।**

आबंटिती	ओसी/मिश्रित खान		यूजी खान		जोड़	
	ब्लॉकों की संख्या	मिलियन टन में जीआर	ब्लॉकों की संख्या	मिलियन टन में जीआर	ब्लॉकों की संख्या	मिलियन टन में जीआर
सरकारी	49	19014.075	18	3435.967	67	22450.04
निजी	57	12105.181	18	2417.747	75	14522.93
जोड़	106	31119.256	36	5853.714	142	36972.97

उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने मार्च 2012 में बताया कि यह विचार कि बोली की प्रणाली प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से शुरू हो सकती थी, प्रथम बार 28 जुलाई 2006 को विधि एवं न्याय मंत्रालय (एमओएलजे) द्वारा दिया गया था और राय में मतभेदों के परिप्रेक्ष्य में सन्दर्भ पुनः किया गया था। एमओएलजे पूर्ववर्ती राय की यौक्तिकी को स्पष्ट करने के बाद दिनांक 30 अगस्त 2006 की राय में एमओएलजे ने अंततः राय दी कि प्रशासनिक मंत्रालय एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन के लिए उपायों की पहल कर सकता है। अधिनियम में लम्बित संशोधन यह जुलाई 2006 की ईसीसी की सलाह पर कोयला ब्लॉकों का आबंटन करने के लिए आगे बढ़ा था। अन्ततः एमएमडीआर अधिनियम, कोयला खानों की प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली द्वारा नीलामी के नियमों में संशोधन अन्तर मंत्रालय परामर्श के बाद 2 फरवरी 2012 को अधिसूचित किए गए थे।

लेखापरीक्षा मंत्रालय के तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि एमओएलजे ने 28 जुलाई 2006 को स्वयं स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि प्रतिस्पर्द्धात्मक मार्ग प्रशासनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से अपनाया जा सकता है। वास्तव में प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली शुरू करने के लिए

---

[11] आबंटित 216 ब्लाक (पैरा 5.1) में से 22 ब्लाक (निवल) का आबंटन रद्द किया गया था, 39 ब्लाक जून 2004 से पूर्व आबंटित किए गए थे12 ब्लाक यूएमपीपी को आबंटित किए गए थे और एक ब्लाक एससीसीएल से सम्बन्धित था।

कार्रवाई करने हेतु एमओसी पर छोड़ दिया गया था। एमओसी के अनुरोध पर एमओएलजे (अगस्त 2006) द्वारा अधिनियम में संशोधन की सलाह दी गई थी जो प्रक्रिया का कानूनी आधार हो सकता है।

4.3 निजी पक्षकारों को वित्तीय लाभ

प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली की प्रक्रिया के प्रारंभ करने में विलम्ब से वर्तमान प्रक्रिया बहुत से प्राइवेट कम्पनियों के लिए लाभदायक बन गई जैसाकि उस समय के सचिव (कोयला) ने स्वयं जुलाई 2004 में देखा था।

लेखापरीक्षा ने प्राईवेट पार्टियों को स्वयं प्रतिबंधित करते हुए कोयला ब्लॉकों के आबंटितियों को अभिलाभ के वित्त प्रभाव का अनुमान लगाने का प्रयास किया। संक्षेप में, आबंटतियों को दिए जाने वाले अभिलाभ का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली निम्नवत हैः

- निजी पक्षकारों को आंबटित केप्टिव कोयला ब्लॉकों को या तो ओपनकास्ट (ओसी) खान, अन्डरग्राउन्ड (यूजी) खानों अथवा मिश्रित खानों (अर्थात् अंशतः ओपनकास्ट और अंशतः अंडरग्राउन्ड के रूप में) खदान किए जा सकते हैं।

- 75 निजी आंबटितियों में से 57 आबंटितियों को ओसी/मिश्रित खानों के साथ ब्लाक आबंटित किए गए थे। निजी आबंटितियों का वित्तीय लाभ ओपनकास्ट (ओसी)/ मात्र मिश्रित खानों को ओसी रिजर्व को सीमित करते हुए प्राक्कलित किया गया है।

- अन्डरग्राउन्ड खान सीआईएल के अन्डरग्राउन्ड खानों से उत्पादन की औसत लागत के सम्बन्ध में उपलब्ध डाटा के अनुसार अधिकांशतः हानि उठाने वाले हैं। तथापि, अन्डरग्राउन्ड खान कोयला के उत्कृष्ट ग्रेडों के साथ भरापूरा है और निजी आबंटितियों को नइ खनन प्रौद्योगिकी इत्यादि को शुरू करने से उत्पादन की लागत पर लाभ हैं। निजी पक्षकारों द्वारा यूजी खानों की प्रचालन लागत के सम्बन्ध में विश्वसनीय डाटा के अभाव में यूजी खान वित्तीय लाभ की संगणना से छोड़ दिए गए हैं।

- निजी पक्षकारों के साथ साक्षेउ के संयुक्त उद्यमों के मामले आबंटिती को सरकारी पक्षकारों के रूप में विचार किया गया है और लाभ के परिकलन में शामिल नहीं किए गए थे।

- यूएमपीपी के लिए आबंटित 12 कोयला ब्लाक (जीआरः 4846.26 मिलियन टन) को विचार नहीं किया गया था क्योंकि उन्हें टैरिफ आधारित बोली के आधार पर आबंटित किए गए थे जहाँ कोयला ब्लाक बोलियों में शामिल किए गए थे।

- प्रत्येक कोयला ब्लाक के लिए भूगर्भीय रिजर्व (जीआर) आकड़ा खान योजना (एमपी) से लिया गया है जहाँ उपलब्ध है। अन्य मामलों में कोयला नियंत्रक के संगठन द्वारा तैयार की गई प्रास्थिति रिपोर्ट अथवा एमओसी की वेबसाइट से उपलब्ध आँकड़े विचार किए गए हैं ।

- जहाँ एमपी उपलब्ध है वहाँ निष्कर्षणीय रिजर्व (ईआर) एमपी से लिया गया है। जहाँ एमपी उपलब्ध नहीं है वहाँ ईआर कोयला क्षेत्र सुधार के लिए रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति (श्री टीएल शंकर की अध्यक्षता में) की रिपोर्ट पर आधारित ओसी ब्लाक के मामलों में जीआर का 73 प्रतिशत[12] को विचार किया गया है। एमओसी ने यह भी बताया कि ओसी के लिए खननयोग्य रिजर्व (एमआर) जीआर के 75 और 80 प्रतिशत के बीच होगा। इस प्रकार लेखापरीक्षा प्रतिमान सन्तुलित है।

- मिश्रित खानों में, जहाँ एमपी उपलब्ध नहीं थे वहाँ ओसी निष्कर्षणीय रिजर्व कन्जर्वेटिव बेसिस पर जीआर के 37 प्रतिशत[13] पर विचार किया गया है।

- अंतिम लागत शीट के अनुसार वर्ष 2010-11 से सम्बन्धित सीआईएल और उसकी सहायक कम्पनियों के ओपनकास्ट खानों में उत्पादित कोयला के सभी ग्रेडों के उत्पादन की औसत प्रति टन लागत विचार की गई है।

- बिक्री कीमत अंतिम लागत शीट कें अनुसार वर्ष 2010-11 के लिए सीआईएल के ओसी खानों में उत्पादित कोयला के सभी ग्रेडों के औसत आधार पर ली गई है।

- एमओसी के अनुसार निष्कर्षण की सीआईएल की लागत के अतिरिक्त प्रतिटन ₹ 100 से ₹150 तक वित्तपोषण लागतें थीं। अतएव प्रतिटन ₹150 की अतिरिक्त वित्तपोषण लागतें विचार की गई है।

- कोयला ब्लॉक के कुल निष्कषर्ण योग्य आरक्षित को इसकी खनन योजना के अनुसार ब्लॉक के जीवनकाल से निष्कर्षित किया जा सकता है। इसके जीवनकाल से कोयला ब्लॉक से संबंधित निष्कर्षित कोयले की भावी वर्ष वार प्रमात्रा, ब्रिक्री कीमत, लागत कीमत, वित्त लागत आदि के अभाव में लेखापरीक्षा ने निदेशक आधार पर आबंटितियों को वित्तीय लाभ निकालने के लिए संदर्भ मूल्यों के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड (देश में अधिकांश कोयला उतपादन के लिए सीआईएल लेखा से) के वर्तमान रूप से उपलब्ध लेखापरीक्षित आंकडों को लिया (बिक्री कीमत, लागत कीमत, वित्तीय लागत)।

उपरोक्त पद्धति के आधार पर 31 मार्च 2011 को 57 ओसी/मिश्रित खानों के सम्बन्ध में निजी पक्षकारों को ₹ 185,591.34 करोड़ का वित्तीय लाभ लेखापरीक्षा द्वारा निकाला गया है और नीचे की तालिका में संक्षेप में दिया गया है:

---

[12] 73 प्रतिशत के कार्यचालनः निवल सकल जीआर=100मीट, निवल जीआर=90मीट (सकल जीआर-सकल जीआर का 10%) एमआर=81 मीट (निवल जीआर-निवल जीआर का 10%) ओसी खानों में एमआर के निष्कर्षण अथवा रिकवरी अनुपात=72.9 मीट, अर्थात 73 मीट (81 मीट का 90%) विशेषज्ञ समिति के अनुसार निष्कर्षण अथवा रिकवरी अनुपात ओसी खानों में खननयोग्य रिजर्व के 90-95% तक उच्च है।

[13] उन मिश्रित खानों के निष्कर्षणीय ओसी रिजर्व की औसत मात्रा के आधार पर 37% निकाला गया है जहाँ खान योजना उपलब्ध थीं।

विवरण	ओसी के निष्कर्षणीय रिजर्व (मिलियन टन में आकडें)	2010-11 के लिए सीआईएल ओसी खानों के सभी ग्रेडों की औसत बिक्री कीमत (₹ प्रति टन)	2010-11 के लिए सीआईएल के सभी ग्रेडों की औसत लागत कीमत (₹ प्रति टन)	एमओसी द्वारा बतायी गई वित्तपोषण की लागत (₹ प्रति टन)	निवल लाभ (₹ प्रति टन)	वित्तीय लाभ (₹ करोड़ में)
निजी पक्षकारों को आबंटित ओपनकास्ट खान ***(अनुबंध III)***	3,969.890	1028.42	583.01	150	295.41	117,274.52
निजी पक्षकारों को आबंटित मिश्रित खान जहाँ खनन योजनाएँ उपलब्ध हैं ***(अनुबंध IV)***	1,010.575	1028.42	583.01	150	295.41	29,853.40
निजी पक्षकारों को आबंटित मिश्रित खान जहाँ खनन योजनाएँ उपलब्ध नहीं हैं ***(अनुबंध V)***	1,302.035	1028.42	583.01	150	295.41	38,463.42
जोड़	**6,282.500**					**185,591.34**

इस वित्तीय लाभ के एक भाग को कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली पर समय से निर्णय लेकर सरकार पा सकती हैं।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी और मार्च 2012) कि:

- *परिणाम जिसे सरकार प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से उसका एक भाग संग्रहीत करना चाहती थी जो उस समय की परिस्थितियों और उसके बाद की घटनाओं के अपूर्ण मूल्यांकन पर आधारित हुई प्रतीत हुई थी।*

- *केप्टिव ब्लॉकों से उत्पादित कोयला वाणिज्यिक बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त 17 कोयला ब्लाक विद्युत क्षेत्र को आंबंटित किए गए थे जहाँ टैरिफ इनपुट लागतों के आधार पर विनियमित है और कोयला की हस्तांतरण कीमत वास्तविक लागत आधार पर निर्धारित की जाती है।*

- *इस्पात और सीमेन्ट क्षेत्र के मामले में यद्यपि अंतिम उत्पादों की कीमतें विनियमित नहीं होती है किन्तु एक प्रतिस्पर्द्धात्मक बाजार ग्राहकों के लिए सर्वोत्तम लाभ सुनिश्चित करता है।*

- *स्क्रीनिंग समिति के मार्ग के माध्यम से आबंटन 15 वर्षों से अस्पष्ट था और आबंटन को केन्द्र सरकार के लिए राजस्व के सम्भाव्य स्रोत के रूप में नहीं देखा गया था किन्तु अवसंरचना के तीव्र विकास को प्रभावित करने के लिए अभिप्रेत है। आबंटितियों को काई लाभ नहीं होगा क्योंकि सीआईएल आबंटितियों को अतिरिक्त कोयला की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं था।*

मंत्रालय का तर्क निम्नलिखित की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं था:

➢ केप्टिव खनन के लिए कोयला एवं लिग्नाइट ब्लॉकों के आंबटन के लिए चयन पद्धति के रूप में प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली की चर्चा करने के लिए 25 जुलाई 2005 को पीएमओ में हुई बैठक में यह पाया गया था कि यौक्तिक पद्धति सुनिश्चित करेगी कि प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली मार्ग के माध्यम से कोयला की लागत सीआईएल अथवा आयातों से प्राप्त कोयला से कम है। **तब सचिव (कोयला) ने बताया कि प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली कार्यविधि लोक प्रयोजनों के लिए स्क्रीनिंग समिति कार्यविधि के अन्तर्गत कम्पनियों जिन्हें केप्टिव कोयला ब्लाक आबंटन किए गए थे, को उपचित लाभ को मात्र संग्रहीत करेगी।** पूर्वोक्त बैठक में यह विचार विमर्श किया गया था कि सीआईएल को ऊर्जा सुरक्षा के राष्ट्रीय विषयों को सम्बोधित करना चाहिए। जबकि निजी आंतरिक ब्लाक केवल आवश्यकताओं के लिए आबंटितियों को उपलब्ध होंगे फिर भी उनसे सीआईएल अथवा एससीसीएल जैसी सामाजिक उपरिव्यय और अत्यधिक श्रमशक्ति की अत्यधिक लागत को वहन का अपेक्षित नहीं होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि एमओसी ने स्वयं अभिस्वीकृति दी थी कि कोयला ब्लॉक्स के आबंटितियों को लाभ हुआ था।

➢ अधिक महत्वपूर्ण रूप से जब कोयला ब्लॉकों के आबंटन में पारदर्शिता/प्रतिस्पर्धा लाने का प्रयास किया जा रहा था तब 2004-2006 में एमओ सी का तर्क बिल्कुल लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के अनुसार था। 2जी स्पेक्ट्रम पर निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन में पारदर्शिता/प्रतिस्पर्धा लाने के लिए भी निदेश दिए थे।

इसलिए लेखापरीक्षा की प्रबल राय यह है कि सस्ते कोयले का लाभ उपभोक्ताओं को दिया गया है को सुनिश्चित करने के लिए कठोर नियामक और मॉनटरिंग की आवश्यकता है।

अध्याय 5 केप्टिव कोयला ब्लॉकों का उत्पादन निपादन

केप्टिव कोयला ब्लाकों का उत्पादन निष्पादन कोयला जो राष्ट्र की ऊर्जा का मूल स्रोत है, की घरेलू माँग और आपूर्ति के बीच अंतराल को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।

यह अध्याय XI वीं योजना अवधि के दौरान कोयला ब्लाकों के उत्पादन निष्पादन और केप्टिव कोयला ब्लाकों से उत्पादन सुकर करने हेतु एमओसी द्वारा किए गए उपायों का विश्लेषण करता है। उन विभिन्न अवरोधनों के लिए लाये गए मानीटरिंग तंत्र जो केप्टिव कोयला ब्लाकों से कोयला के वांछित उत्पादन में बाधा पहुँचा रहे है और इन कोयला ब्लाकों द्वारा निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई "प्रोत्साहनों" और "हतोत्साहनों " की प्रणाली के भी विश्लेषण किए जाते हैं।

5.1 XI वीं योजना के दौरान केप्टिव कोयला ब्लॉकों का आबंटन

31 मार्च 2011 को सरकारी कम्पनियों, निजी कम्पनियों तथा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपीज) को केप्टिव कोयला ब्लॉकों का वर्ष-वार आबंटन निम्न तालिका में दिया गया है।

केप्टिव खनन हेतु कोयला ब्लॉकों का वर्ष-वार आबंटन

आवंटन का वर्ष	सरकारी कम्पनियां		निजी कम्पनियां		अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं		जोड़	
	ब्लॉकों की संख्या	जीआर (मिलियन टन में)	ब्लॉकों की संख्या	जीआर (मिलियन टन में)	ब्लाकों की संख्या	जीआर (मिलियन टन में)	ब्लाकों की संख्या	जीआर (मिलियन टन में)
1993 से 2005	29	6294.72	41	3336.88	0	0	70	9631.6
2006	32	12363.15	15	3793.14	6	1635.24	53	17791.53
2007	34	8779.08	17	2111.14	1	972	52	11862.22
2008	3	509.99	20	2939.53	1	100	24	3549.52
2009	1	337	12	5216.53	3	1339.02	16	6892.55
2010					1	800	1	800
जोड़	**99**	**28283.94**	**105**	**17397.22**	**12**	**4846.26**	**216**	**50527.42**

(जीआर-भूवैज्ञानिक रिज़र्व)

उपर्युक्त 216 ब्लॉकों में से, 24 ब्लॉकों (2003 में तीन ब्लॉक, 2006 में दो ब्लॉक, 2008 में एक ब्लॉक, 2009 में एक ब्लॉक, 2010 में तीन ब्लॉक तथा 2011 में 14 ब्लॉक) का आबंटितियों[14] द्वारा उत्पादन के गैर-निष्पादन हेतु आवंटन रद्द किया गया था तथा रद्द किए गए आवंटनों वाले दो ब्लॉक बाद में अन्य को पुनः आबंटित कर दिए गए थे (2003 और 2005)।

---

[14] यह शब्द उस पार्टी के लिए किया गया जिसके लिए एक कोयला ब्लॉक का केप्टिव खनन हेतु प्रयोग किया जाता है।

अतः 31 मार्च 2011 को 44,440 मिलियन टन के सकल भूवैज्ञानिक रिज़र्वों सहित, 194 कोयला ब्लॉक आबंटित किए गए थे।

5.2 XI वीं योजना के दौरान केप्टिव कोयला ब्लॉकों से उत्पादन

केप्टिव खनन के लिए आबंटित कोयला ब्लॉकों से कोयले के उत्पादन की देश में कोयले की मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आशा थी।

86 केप्टिव कोयला ब्लॉकों, जिनकी XI वीं योजना अवधि में उत्पादन करने की उम्मीद थी, के संबंध में वर्ष-वार लक्ष्य तथा उपलब्धियां चार्टों में दी गई है।

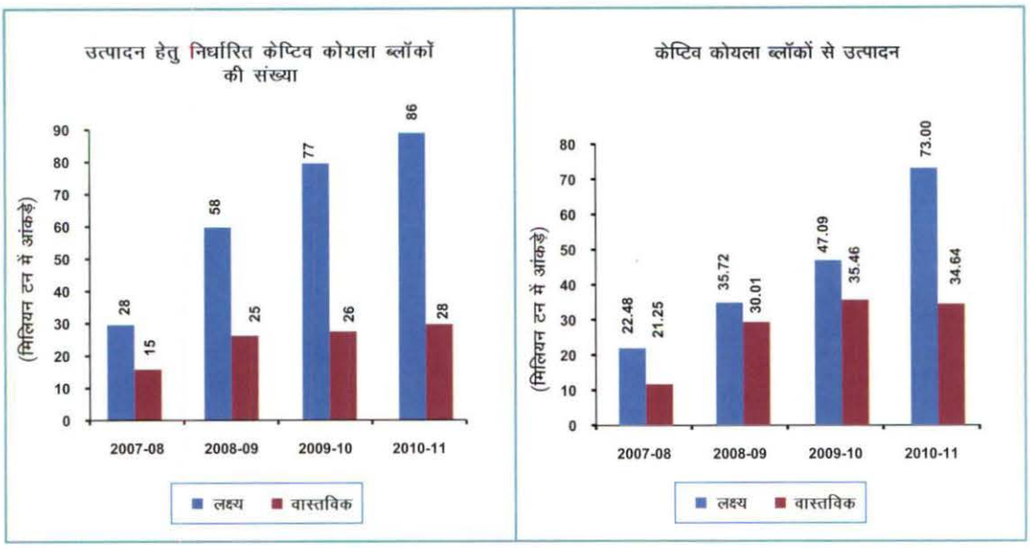

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 73.00 मिलियन टन कोयले के उत्पादन के लक्ष्य सहित 86 कोयला ब्लॉकों, जो XI वीं योजना अवधि (2010-11 तक) में उत्पादन के लिए निर्धारित थे, 28 ब्लॉकों (निजी क्षेत्र को आबंटित 15 ब्लॉकों सहित) ने 31 मार्च 2011 को उत्पादन शुरू किया और 2010-11 के दौरान 34.64 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। इसके परिणामस्वरूप केप्टिव कोयला ब्लॉकों से कोयले के उत्पादन में 38.36 मिलियन टन (52.55 प्रतिशत) की कमी हुई।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2012) कि उत्पादन की अवस्था तक पहुंचने के लिए कोयला ब्लॉकों के विकास में तीन से सात वर्ष की पक्वानवधि शामिल है वे आबंटिती जिन्होंने अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया था, संविधिक अनुमोदन प्राप्त करने तथा खनन पट्टा की विभिन्न अवस्थाओं में थे। एच्छिक विलम्ब के मामले में कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द करने के लिए समुचित कार्रवाई कर ली गई थी तथा अभी तक 25 कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द किया गया था। मंत्रालय ने यह भी बताया (मार्च 2012) कि अन्वेषण हेतु दिए गए 24 महीने तथा वन अनुमोदन हेतु दिए गए छः महीने, जिन पर पहले विचार किया गया था, पर्याप्त नहीं पाए गए थे तथा वन तथा पर्यावरण अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सीआईएल द्वारा लिया गया औसत समय चार वर्ष से अधिक था। आबंटित केप्टिव कोयला ब्लॉकों के निष्पादन की जनवरी 2012 में समीक्षा की गई थी तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी केप्टिव कोयला ब्लॉकों से अभिप्रेत लाभ यथाशीघ्र प्राप्त कर लिए गए हैं, कार्रवाई की श्रृखला पर विचार किया गया था।

ब्लॉकों की निर्धारित उत्पादन योजनाएं उत्पादन-पूर्व अनुमोदनों के लिए अपेक्षित समय को ध्यान में रख कर बनाई गई थी तथा उत्पादन लक्ष्यों में 52.55 प्रतिशत की कमी प्राप्त न किए गए केप्टिव कोयला ब्लॉकों के आवंटन के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य को दर्शाती है।

5.3 अन्वेषण और विकास को साथ जोड़े बिना कोयला ब्लॉकों का आबंटन

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोयला ब्लॉकों का आबंटन एक सूचित ढंग से किया गया है और उनका उत्पादन प्रारम्भ करने में कोई बाधाएं नहीं है, अन्वेषण और विकास से संबंधित मूल मामलों को पहले ही जोड़ लिया जाना चाहिए। खनन योजना का अनुमोदन कोयला खनन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पूर्व-अपेक्षित है। एमओसी ने निर्णय लिया (अक्तूबर 2003) कि केप्टिव ब्लॉक का कोई आबंटन जब तक नहीं किया जाएगा तब तक ब्लॉक का खनन योजना के तैयार करने और ईआर के निर्धारण को सुकर बनाने के लिए अन्वेषण किया गया था। इससे अधिक सूचित तथा सही ढंग में कोयला ब्लॉक्स के आबंटन पर निर्णय लेने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी सहायता करेगी। तथापि, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पायाः

- 31 मार्च 2011 तक केप्टिव खनन के लिए एमओसी द्वारा आबंटित किए गए 194 ब्लॉक्स में से मात्र 142 अन्वेषित ब्लॉक्स (जीआरः 23391 मिलियन टन) थे और शेष 52 या तो क्षेत्रवार अन्वेषित थे अथवा अन्वेषित कोयला ब्लॉक नहीं थे (जीआरः 21049 मिलियन टन) जिनकी खनन योजना के तैयार करने के लिए पुनः अन्वेषण की आवश्यकता थी।

- अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अपनाई गई भौगोलिक समन्वयी प्रणाली देशान्तर और अक्षांश के अनुसार ब्लाक के समन्वय को व्यक्त करती है। पहले ब्लॉक्स जिनकी आन्तरिक सूची के लिए पहचान की गई थी का या तो सर्वेक्षण प्रत्याशित मूल्यों सहित स्थानीय आयाताकार ग्रिडों में सीएमपीडीआईएल द्वारा किया गया था अथवा सीएमपीडीआईएल द्वारा सर्वेक्षण नहीं किया गया था और इन ब्लॉक्स का केवल क्षेत्रीय रूप से अन्वेषण जीएसआई/एमईसीएल द्वारा किया गया था। इसलिए, यथार्थ समन्वयी अर्थात ब्लॉक्स के लिए देशान्तर और अक्षांश आबंटन के समय एमओसी के पास उपलब्ध नहीं थे। इससे सीमांकन विवादों के कारण उत्पादन में विलम्ब हो सकता है ऐसे विलम्ब गारे IV/6 ब्लॉक (जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड और नालवा स्पांज आयरन लिमिटेड संयुक्त रूप से) गारे IV/7 (रायपुर एलायज) और रामचन्दी ब्लॉक (जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड) में हुए थे।

- कोल-बेड मीथेन (सीबीएम)[15] ब्लॉक्स वाले कोयला ब्लॉकों के ओवरलेपिंग के कारण विवाद हुए थे। बिहारीनाथ ब्लॉक को बाँकुरा डीआरआई माइनिंग मेन्युफेक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड को केप्टिव कोयला खनन के लिए आबंटित किया गया था (फरवरी 2007) और इसे सीबीएम निष्कर्षण के लिए पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा जीईईसीएल[16] को भी आबंटित किया गया था। यद्यपि, सह-विकास योजना बनाई गई थी फिर भी जीईईसीएल ने कोयला ब्लॉक के विकास से कोयला आबंटितियों को प्रतिबंधित करते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से एक स्थगन आदेश प्राप्त किया। इसी प्रकार, भूषण पावर एण्ड स्टील लिमिटेड को पाटल ईस्ट ब्लॉक (नवम्बर 2007 में आबंटित) और रामस्वरूप लौह उद्योग लिमिटेड को मोयरा मधुरजोरे ब्लॉक (अक्तूबर

---

[15] कोल बेड मीथेन कोयला बेडस से निष्कर्षित प्राकृतिक गैस के रूप में है

[16] ग्रेट ईस्टर्न ऐनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड

2009 में आबंटित) के मामले में सीबीएम ब्लॉक्स के साथ कोयला ब्लॉक्स का ओवरलेपिंग हुआ था। इससे इन कोयला ब्लॉक्स के विकास पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा था।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2012) कि अन्वेषण में बहुत अधिक समय लगता है और इसलिए उनकी सीमित उलब्धता के कारण मात्र अन्वेषित ब्लॉक्स के आबंटन पर विचार करना सम्भव नहीं होगा। विवादों को सुलझाने के लिए सभी पणधारियों के साथ सीएमपीडीआईएल और सम्बन्धित कोयला कम्पनी से परामर्श करके बैठक की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है चूंकि एक सूचित और विवेकी ढंग में कोयला ब्लॉक्स के आबंटन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी को डॉटा उपलब्ध कराने के लिए आरक्षितों के निश्चित करने की प्रणाली का अनुसरण नहीं किया गया था। इसका अनुपालन विशेषज्ञ समिति द्वारा भी किया गया था कि मात्र अन्वेषित ब्लॉक्स को आबंटितियों को दिया जाना है।

5.4 कोयले का अधिक आबंटन

केप्टिव कोयला ब्लॉकों से अतिरिक्त कोयले के उत्पादन की संभावना है, यदि कोयला उत्पादन को अन्तिम उपयोग परियोजना (ईयूपी) के शुरू करने से पूर्व मूर्तरूप दिया जाता है अथवा यदि कोयला उत्पादन ईयूपी में उत्पादन को आउटपेस कर देता है।

सासन यूएमपीपी के बारे में लेखापरीक्षा आपत्तियों की चर्चा वर्ष 2011-12 के लिए 'एसपीवी मॉडल के अन्तर्गत अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं' पर अन्य सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई है।

5.5 उत्पादन के प्रारम्भ करने में विलम्ब और उसके कारण

एमओसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, आबंटित केप्टिव ब्लॉकों में उत्पादन ओपन कास्ट खानों के मामले में 36 माह के अन्दर (वन भूमि के लिए 42 माह) और भूमिगत खानों के लिए आबंटन के पत्र के जारी करने की तारीख से 48 माह (वन भूमि के लिए 54 माह) के अन्दर प्रारम्भ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त दो वर्षों की अनुमति अन्वेषण न की गई और क्षेत्रीय रूप से अन्वेषित केप्टिव ब्लॉक्स के लिए उत्पादन के प्रारम्भ करने के लिए दी गई है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि 30 जून 2011 को 28 उत्पादित ब्लॉक्स में से तेरह ब्लॉक्स में नियामक उत्पादन अनुसूचियों से एक से दस वर्षों तक का अधिक समय लगा था।

इसी प्रकार, 68 गैर उत्पादक ब्लॉक्स में से जहाँ उत्पादन की नियामक तारीख 30 जून 2011 तक नियत थी वहाँ नियामक उत्पादन अनुसूची से 47 ब्लॉकों में एक से पांच वर्षों तक का अधिक समय लगा था और 4 ब्लॉकों में पांच से दस वर्षों तक का अधिक समय लगा था।

लेखापरीक्षा ने इन 68 कोयला ब्लॉकों के संबंध में विलम्ब के लिए उत्तरदायी घटकों का विश्लेषण किया और पाया कि यह अत्यधिक रूप से भूमि अधिग्रहण (एलए), वन अनुमति (एफसी), खनन पट्टा (एमएल), खनन योजना (एमपी) और पर्यावरण प्रबन्धन योजना (ईएमपी) में विलम्ब के कारण था।

लेखापरीक्षा ने यह भी नोट किया कि उपर्युक्त 68 ब्लॉकों में से विभिन्न मीलपत्थर प्रतीक्षित थे उदाहरणार्थ 53 ब्लॉकों में एफसी, 62 ब्लॉकों में एलए, 58 ब्लॉकों में एमएल, 4 ब्लॉकों में एमपी और 26 ब्लॉकों में ईएमपी 30 जून 2011 को लम्बित थे। अन्त उपयोग परियोजनाओं के चालू करने और कोयला ब्लॉकों से उत्पादन के प्रारम्भ करने के प्रति राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के मध्य

समन्वित दृष्टिकोण का अभाव था। खनन पट्टा, सरफेस अधिकार, भूमि अधिग्रहण, पुनः भूमि व्यवस्था/पुनर्वास केन्द्र और राज्य सरकारों से पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करने के लिए लिए गए असामान्य समय ने आन्तरिक कोयला ब्लॉकों से उत्पादन के प्रारम्भ करने में गंभीर रूप से रूकावटें पैदा कीं। कुछ राज्यों ने विभिन्न अनुमोदनों के प्रदान करने के लिए एकल विन्डो प्रणाली को अपनाया है यद्यपि इस सबंध में प्रगति मन्द है।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2012) कि समीक्षा बैठकों का आयोजन आबंटित कोयला ब्लॉक्स के विकास का मूल्यांकन करने के लिए किया गया था जिसमें राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था और सभी अनुमतियों को शीघ्र जारी करने के लिए अनुरोध किया गया था।

इस संबंध में, यह नोट किया गया था कि विशेषज्ञ समिति (2005) ने यह भी देखा था कि बहुत से मामलों में मुख्य विलम्ब पर्यावरणीय अनुमति, भूमि के लिए अनुमोदन, सम्बन्धित राज्य सरकारों से खनन पट्टा प्राप्त करने और आगामी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया करने में हुआ था। समिति ने सुझाव दिया है कि राज्य प्राधिकारियों से अनुमोदन एवं अनुमति प्राप्त करने में उनका मॉनीटरन करने में एमओसी को सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए। इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में किया जाए जिसमें नोडल मंत्रालयों यथा एमओईएफ, खान आदि और राज्य सरकारों से सदस्य शामिल हों ताकि शीघ्र उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक अनुमतियों और अनुमोदनों की प्रगति का मॉनीटर एवं समीक्षा की जा सके। उत्पादन की शुरूवात की कार्यविधियों में गति लाने के लिए आवश्यक लाइसेंस प्रदान करने के लिए विदेश निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) की रूप रेखा में अधिकार प्राप्त समूह के गठन की आवश्यकता है।

5.6 सीसीओ द्वारा अपर्याप्त मॉनीटरिंग

1993 से, एमओसी कोयला ब्लॉकों के उत्पादन का मॉनीटरिंग कर रही है। जनवरी 2005 में कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) को इस प्रयोजन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया था। एमओसी ने आबंटित कोयला ब्लॉकों /अन्त उपयोग परियोजनाओं के विकास का मॉनीटर करने के लिए अपर सचिव (मॉनीटरिंग समिति) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की (अक्तूबर 2009)।

निर्धारित दिशानिर्देशों और आबंटित पत्र के मीलपत्थर के अनुसार विकसित कोयला ब्लॉक की जिम्मेवारी पूर्णतः आबंटितियों के पास है और कोयला ब्लॉकों के विकास/ अन्त उपयोग परियोजना के गठन में जानबूझकर विलम्ब की स्थिति में सरकार के पास कथित ब्लॉक का आबंटन रद्द करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार है। इसके अनुरूप सरकार समीक्षा बैठकों में कोयला ब्लॉकों के विकास की आवधिक रूप से मॉनीटर एवं समीक्षा करती है। जहाँ कहीं भी विलम्ब पाया जाता है वहाँ ऐसे आबंटितियों को दिशानिर्देशों/माइलस्टोन चार्ट के अनुसार उत्पादन में कोयला ब्लॉक्स को लाने के लिए उन्हें सावधानी लेने के लिए कारण बताओ नोटिस और परामर्शी जारी किए जाते हैं जिसके विफल होने में ब्लॉक का आबंटन रद्द किया गया। सीसीओ ने ब्लॉक आबंटितियों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर कोयला ब्लॉक्स के विकास और सम्बद्ध अन्त-उपयोग परियोजनाओं पर एक त्रैमासिक प्रास्थिति रिपोर्ट तैयार की जिसे समीक्षा के लिए और उपयुक्त उपचारी कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए मॉनीटरिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया किः

- एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के अनुसार नियमों के अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से कोयला नियंत्रक किसी कोयला खदान में प्रवेश और निरीक्षण कर सकता है। तथापि, सीसीओ ने आबंटितियों द्वारा सूचित प्रगति/उत्पादन की तुलना में वास्तविक प्रगति/उत्पादन को अभिनिश्चित करने के लिए आबंटित कोयला ब्लाकों का कोई प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं किया। अतएव, आबंटितियों द्वारा प्रस्तुत डाटा की शुद्धता की जाँच नहीं की जा सकी।

- सीसीओ के पास कोयला ब्लाकों की प्रभावी मानीटरिंग के लिए पर्याप्त संस्वीकृत क्षमता अथवा तैनाती नहीं थी। यह पाया गया था कि 2007 में सीसीओ द्वारा प्रस्तावित 17 तकनीकी पदों के सृजन की प्रक्रिया अभी एमओसी के विचाराधीन थी (नवम्बर 2011)।

- एमओसी ने निदेश दिया (जुलाई 2010) कि नौ ब्लाकों जिसमें अधिकतम निर्धारित क्षमता प्राप्त हुई थी को एमओसी में आगे समीक्षा नहीं की गई होगी किन्तु उनकी प्रगति सीसीओ द्वारा मानीटर की गई होगी। तथापि, सीसीओ एमओसी के इन दिशानिर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहा (नवम्बर 2011)।

- मानीटरिंग समिति को प्रत्येक महीने आबंटित कोयला ब्लाकों की प्रगति की समीक्षा करनी थी। तथापि, उसे कठोरता से नहीं अपनाया गया था और बैठक त्रैमासिक आधार पर हुई थी।

आगे यह नोट किया गया कि एमओसी ने कारण बताओं नोटिस जारी किया और आबंटितियों द्वारा कोयला ब्लाकों के विकास की पहल के अभाव में जून 2011 तक 24 ब्लाकों का आबंटन रद्द कर दिया। प्रस्तावित प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया आबंटित ब्लाकों में आबंटितियों की वित्तीय रकमों को बढ़ाने के लिए अभिप्रेत थी जिससे ब्लाक/अंतिम उपयोग परियोजनाओं के विकास में तत्कालिकता का अपेक्षित बोध लाना है किन्तु जिसे अभी शुरू करना है। आंतरिक कोयला ब्लाकों से उत्पादित कोयला को काला बाजार की ओर विपथन का मामला भी है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में प्रभावी मानीटरिंग निर्धारित मील पत्थरों के अनुसार कोयला ब्लॉक का विकास सुनिश्चित करना और उत्पादित कोयला के उपयोग पर निगरानी रखना भी अपेक्षित हैं।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (फरवरी 2012) कि सीसीओ कोलकाता को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता थी और बताया कि अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन था।

5.7 चूक के मामले में बैंक गारंटियों का नकदीकरण न करना

एमओसी ने कोयला ब्लाकों से समय से उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए बैंक गारंटी (बीजी) की प्रणाली शुरू की (मार्च 2005)। कोयला क्षेत्र सुधार के लिए रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति (दिसम्बर 2005) ने बीजी के प्रस्तुतिकरण की सिफारिश की जिसका 50 प्रतिशत गारंटीकृत उत्पादन से और 50 प्रतिशत अंतिम उपयोग परियोजनाओं की स्थापना से जुड़ा हुआ था। एमओसी ने बीजी की प्रणाली का आशोधन किया (जनवरी 2007) और बीजी राशि के 50 प्रतिशत को उत्पादन की शुरूवात से पहले प्राप्त किए जाने वाले मील पत्थरों से और और बीजी के शेष 50 प्रतिशत गांरटीकृत उत्पादन से सम्बद्ध किया था। बीजी के प्रस्तुतिकरण को सरकारी प्रबन्धन के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों को आबंटित कोयला ब्लाकों के लिए भी लागू किया गया था (जुलाई 2007)। अक्तूबर 2009 से मानीटरिंग समिति को आबंटन - पत्रों/मील पत्थर समयबद्धता के निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार कोयला ब्लाकों अथवा अंतिम उपयोग संयंत्रों के विकास में शिथिलता के मामले में नकदीकरण के लिए बीजी की कटौती का निर्धारण एवं सिफारिश करनी थी।

विशेषज्ञ समिति ने पहले जारी लाइसेंसों का रद्द करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी सिफारिश की है यदि आबंटिती आबंटित खदानों में उत्पादन शुरू करने अथवा अंतिम उपयोग संयंत्रों की स्थापना करने के लिए उपयुक्त उपाय करने में विफल रहा था।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पायाः

- बीजी शुरू करने और उसे मील पत्थरों से जोड़ने में विलम्ब हुआ था। इसके परिणामस्वरूप एमओसी द्वारा बीजी के प्रस्तुतिकरण को 2005 से पूर्व आबंटित 46 ब्लाकों में लागू नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त जुलाई 2007 से पूर्व आबंटित 118 ब्लाकों के सम्बन्ध में मील पत्थरों की उपलब्धि को बीजी से नहीं जोड़ा गया था और अतएव मील पत्थरों के अननुपालन के लिए शास्ति लगाने को कार्यान्वयन नहीं किया जा सका।

- आबंटन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार सीसीओ/एमओसी जुलाई 2008 और जून 2010 (15 अगस्त 2011 तक) के दौरान आबंटित पाँच ब्लाकों अर्थात पिनड्राखी, पुटा पारोगिया, मौर्या, भिवकुन्ड और बाँकुई से बीजी का संग्रहण नहीं कर सका। इसमें भिवकुन्ड,बाँकुई और मौर्या ब्लाकों के सम्बन्ध में ₹ 247.98 करोड़ की बीजी शामिल थी।

- कोयला ब्लाकों के आबंटन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार बीजी राशि में खान के अंतिम अधिकतम निर्धारित क्षमता के आधार पर आशोधन होगा। तथापि, उसे अभी करना है (नवम्बर 2011)।

- बीजी के लेखांकन की कोई कार्यप्रणाली भी नहीं थी। लेखा का कोई उचित शीर्ष नकदीकृत बीजी के जमा के लिए चिन्हित नहीं था। परिणामस्वरूप एमओसी/सीसीओ छः ब्लाकों (अन्सेटीपल्लीः ₹ 0.59 करोड़, पुनुकुलु चिलाकाः ₹ 0.80 करोड़, पेनगेडाप्पाः ₹ 7.50 करोड़, मांडला साउथः ₹ 1.14 करोड़, सेमरिया/पिपारियाः ₹ 0.91 करोड़ और रावानवारा नार्थः ₹ 2.00 करोड़) के प्रति ₹ 12.94 करोड़ की बीजी राशि को भुना नहीं सका।

- एमओसी ने आबंटितियों द्वारा कोयला ब्लाकों के विकास के लिए पहल के अभाव में जून 2011 तक 24 ब्लाकों का आबंटन रद्द किया। मानीटरिंग समिति ने कोयला ब्लाकों के विकास में विलम्ब के लिए 15 आबंटितियों से बीजी की कटौती के लिए सिफारिश भी की (जनवरी और फरवरी 2011)। तथापि, एमओसी बीजी का नकदीकरण नहीं कर सका जहाँ कहीं इन आबंटितियों को लागू है वहाँ ऐसे नकदीकरण की पद्धतियाँ अभी बनानी थी (नवम्बर 2011)। विशेषज्ञ समिति ने ऐसे मामलों में सम्पूर्ण बीजी के नकदीकरण के लिए सिफारिश भी की।

- नवम्बर 2011 तक लेखापरीक्षा द्वारा निकाली गई व्यपगत बीजी 15 ब्लाकों जिन्हें नवीकरण करने के आवश्यकता थी के प्रति ₹ 311.81 करोड़ थी।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (फरवरी 2012)कि बैंक गारंटी के नकदीकरण की राशि के परिकलन के लिए कोई दिशानिर्देश विद्यमान नहीं थे और आगे बताया कि यह विचाराधीन था।

5.8 कोयला उत्पादन के संवर्धन के लिए ढाँचा

कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए वर्तमान ढाँचा के लेखापरीक्षा विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चलाः

(i) भारत सरकार उत्खनन की लागत को छोड़कर आंतरिक खनन के लिए कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए कोई धन प्रभारित नहीं करती है। आबंटिती को राज्य सरकार को मुख्यतः रायल्टी का भुगतान करना होता है। इस प्रकार, कोयले की बाजार कीमत और उत्पादन की लागत के बीच अंतर आबंटिती के लिए एक प्रत्यक्ष/प्रोत्साहन लाभ है।

(ii) कोयला के विलम्बित उत्पादन के मामले में आबंटिती को कोयला ब्लाकों के रद्द होने का जोखिम अथवा एमओसी द्वारा शास्तिक कार्रवाई अर्थात कोयला उत्पादन के लाभों से वंचित होने के अलावा आंशिक अथवा पूर्ण बैंक गारंटी का नकदीकरण के अधीन है।

इस प्रकार, निम्नलिखित के द्वारा कोयला की माँग को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन के संवर्धन को सुगम करने हेतु प्रणाली में सुधार की गुंजाइश हैः

(i) *उपरोक्त पैरा 5.5 में* संस्तुत उच्च अधिकार प्राप्त समिति के तंत्र के माध्यम से सम्बन्धित राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण के साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से खनन पट्टा, खनन योजना, वन अनुमति और पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना का शीघ्र अनुमोदन।

(ii) अंतिम उपयोग परियोजना की आवश्यकता से अधिक बेशी कोयला के उत्पादन के साथ अंतिम उपयोग संयंत्र की शुरूवात से पूर्व उत्पादन के मामलों में भी कोयला के समय से उत्पादन के लिए प्रोत्साहन होने चाहिए। अवसंरचनात्मक सुविधाओं के शीघ्र सृजन के लिए समर्थन सहित उत्पादन की लागत पर यथोचित प्रतिफल के लिए सुविनिर्दिष्ट नीति अपेक्षित है।

(iii) आबंटितियों द्वारा अनौचित्य विलम्ब के मामले में गैर/खराब निष्पादन के लिए समय से शास्तिक कार्रवाई (ब्लाकों के आबंटन को रद्द करने सहित) लागू करने की आवश्यकता है।

(iv) बैंक गारंटी की राशि को गैर गम्भीर उद्यमियों को निषिद्ध/शास्तिक करने के लिए आबंटिती की रकम की वृद्धि हेतु बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

अध्याय 6 निष्कर्ष और सिफारिशें

निष्कर्ष

भारत सरकार द्वारा "2012 तक सभी को बिजली" के अपने मिशन की घोषणा के बाद से कोयले के उत्पादन को काफी महत्व मिला है। भारत में 2,85,863 मिलियन टन जीआर के साथ महत्वपूर्ण देशज ऊर्जा स्रोत होने के कारण कोयले के उत्खनन, उत्पादन और आवंटन में लगी विभिन्न एजेंसियों की भूमिका में तदनुसार वृद्धि हुई है। तथापि, कोयला ब्लाकों के आवंटन और कोयला उत्पादन के संवर्धन को बढ़ाने पर की गई निष्पादन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित अपर्याप्तताओं/कमियों का पता लगाः

- देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयला क्षेत्र सुधारों पर विशेषज्ञ समिति ने दिसम्बर 2005 में सीएमपीडीआईएल की प्रतिवर्ष ड्रिलिंग क्षमता को कम से कम प्रतिवर्ष 15 लाख मीटर तक बढ़ाने की सिफारिश की। सिफारिश के प्रति सीएमपीडीआईएल से प्रतिवर्ष 3.44 लाख मीटर की ड्रिलिंग क्षमता प्राप्त करना प्रत्याशित है।

- सीआईएल योजना आयोग द्वारा परिकल्पित कोयला उत्पादन की वृद्धि दर को भी पूरा नहीं कर पायी क्योंकि सांविधिक मंजूरी और भूमि अधिग्रहण में लगी विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा समन्वित और नियोजित दृष्टिकोण में कमी के कारण विभिन्न क्षमता वृद्धि परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब थे। इसके अतिरिक्त खानों की उत्खनन और परिवहन क्षमताओं में बेमेलता थी और कोयला उत्पादन में लगी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का इष्टतम और लाभप्रद उपयोग नहीं किया गया था।

- एमओसी 2007 द्वारा अधिसूचित नई कोयला वितरण नीति में प्रभावी रूप से छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं को कोयले के वितरण की परिकल्पना की गई है। तथापि, सीआईएल में कोयले के अन्तिम उपयोग के सत्यापन के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं है।

- सीआईएल की वर्तमान वाशरीज़ कोयले की वाशिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं थी और इसलिए उपभोक्ताओं को निजी वाशरीज़ पर निर्भर रहना पड़ता था।

- देश में कोयले की पूर्ति को बढ़ाने के दृष्टिगत एमओसी ने सीआईएल के 48 कोयला ब्लॉकों को अनारक्षित कर दिया था जिनमें से कोयले के तीन ब्लाकों का आवंटन रद्द किया गया और नौ बिना आवंटन के पड़े रहे। विभिन्न पार्टियों को आवंटित बाकी के 36 कोयला ब्लाकों में से नौ ब्लाकों में उत्पादन अभी प्रारंभ होना है जबकि उत्पादन प्रतिमानक तिथि समाप्त हो चुकी है। बकाया 27 ब्लाकों में उत्पादन की प्रतिमानक अनुसूची जुलाई 2011 के बाद की थी। इस प्रकार, सीआईएल ब्लाकों का अनारक्षण वांछित परिणाम नहीं दे सका।

- केप्टिव कोयला खनन वह तंत्र है जो सीआईएल की सीमितताओं के कारण कोयले के खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है जिससे विद्युत, इस्पात और सीमेंट जैसे कोर अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में आश्वस्त पूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि की जा सके। 1993 तक, कोयला ब्लाकों के आवंटन का कोई विशिष्ट मापदंड नहीं था। अधिकतर आवंटन संबंधित राज्य सरकार से

सिफारिशी पत्रों के आधार पर किये जाते थे। कोयला ब्लाकों के आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और वास्तविकता लाने की प्रक्रिया जो 28 जून 2004 से शुरू की गई थी, विभिन्न चरणों पर लम्बित हुई और सात वर्षों के बीत जाने के बाद भी उसे अभी तक मूर्त रूप दिया जाना है (फरवरी 2012)। इसी बीच, कुल 44,440 मिलियन टन जीआर के साथ 194 (निवल) कोयला ब्लाक विभिन्न सरकारों और निजी पार्टियों को 31 मार्च 2011 तक आवंटित किए गए थे। 31 मार्च 2011 तक ओपन कास्ट (ओसी) खानों/मिश्रित खानों के ओसी रिज़र्व के लिए निजी आवंटितियों को ₹1,85,591.34 करोड़ तक के वित्तीय लाभ का अनुमान लगाया। सरकार कोयला ब्लाकों के आवंटन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली पर तुरंत निर्णय लेकर इस वित्तीय लाभ का कुछ भाग ले सकती थी।

- 30 जून 2011 तक 28 उत्पादक ब्लाकों में से, दस ब्लाकों के मामले में, प्रतिमानक उत्पादन कार्यक्रम से आगे एक से दस वर्षों से अधिक का समय हो गया था। 68 गैर उत्पादक ब्लाकों के मामले में, जहाँ उत्पादन प्रतिमानक तिथि 30 जून 2011 या उससे पहले की थी, 47 ब्लाकों में एक से पाँच वर्षो तक और चार ब्लाकों में उत्पादन प्रतिमानक कार्यक्रम से पाँच से दस वर्षों से अधिक का समय आधिक्य था। खनन पट्टे और अन्य सांविधिक मंजूरियाँ प्राप्त करने में विलम्बों के कारण केप्टिव कोयला ब्लाकों से उत्पादन आरंभ करने में असामान्य विलम्ब हुए थे जैसाकि पहले बताया गया है।

- कोयला नियंत्रक संगठन, इस उद्देश्य के लिए एक नोडल एजेंसी ने आवंटित ब्लाकों की एमएमडीआर अधिनियम 1957 के अनुसार आवंटियों द्वारा बताई गई प्रगति/उत्पादन की तुलना में वास्तविक प्रगति/उत्पादन की प्रत्यक्ष जांच नहीं की। इस प्रकार आवंटियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की सटीकता अप्रमाणित रही।

- एमओसी ने मार्च 2005 में कोयला ब्लाकों से समय पर उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए बैंक गारंटी (बीजी) प्रणाली प्रारंभ की जिसे जनवरी 2007 में संशोधित किया गया था और 50 प्रतिशत बीजी राशि, जिसे उत्पादन के प्रारंभ से पहले प्राप्त किए जाने वाले मील पत्थर से और बकाया 50 प्रतिशत बीजी को गारंटीड उत्पादन के साथ जोड़ दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि बीजी प्रारंभ करने में और उसे मीलपत्थर से जोड़ने में विलम्ब थे। परिणामस्वरूप, 2005 से पहले 46 कोयला ब्लाकों के मामले में बीजी प्रस्तुत करना लागू नहीं किया जा सका और जुलाई 2007 से पहले आवंटित 118 ब्लाकों के मामले में मील पत्थर के लागू नहीं करने के अननुपालन के लिए शास्ति नहीं लगाई जा सकी। इसके अतिरिक्त बीजी के लेखांकन की पद्धति के अभाव में एमओसी छः ब्लाकों के प्रति ₹12.94 करोड़ तक की राशि की बीजी को भुना नहीं सकी। लेखापरीक्षा ने पाया कि नवम्बर 2011 तक 15 ब्लाकों के संबंध में ₹311.81 करोड़ बीजी व्यपगत हो गई थी और उसका नवीकरण नहीं किया गया था ।

सिफारिशें

एमओसी को

- आवंटन में 'वास्तविकता' और 'पारदर्शिता' लाने के लिए और केप्टिव कोयला ब्लाकों के आवंटियों को प्राप्त लाभ का एक भाग टेप करने के लिए, एमओसी को तुरंत प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा केप्टिव खनन के लिए कोयला ब्लाकों के आवंटन की प्रक्रिया को लागू करने की पद्धति बनानी चाहिए।

- "2012 तक सभी को बिजली" के घोषित उद्देश्य के साथ, सरकार ने बड़े पैमाने पर विद्युत और अन्य क्षेत्रों में केप्टिव खनन के लिए कोयला ब्लाकों के आवंटन के साथ-साथ कई कदम उठाए हैं। इन घोषित उद्देश्यों की सफलता के स्तर का निर्धारण करना सार्थक होगा ताकि मध्यावधि सुधार किए जा सकें। देश के आर्थिक विकास में विद्युत की आवश्यकता निरंतर सर्वोपरि रहेगी। अतः ऐसे निर्धारण और "सभी को बिजली" के उद्देश्य के विकास के लिए अतिरिक्त रोड मैप महत्वपूर्ण है। उत्पादन के प्रारम्भ हेतु प्रक्रियाओं को शीघ्रता से करने के लिए आवश्यक निर्वाधनों जैसे खनन पट्टे, खनन योजना, वन मंजूरी, पर्यावरण प्रबंधन योजना और भूमि अधिग्रहण के लिए केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ एकल तंत्र के रूप में विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) के अनुरूप एक अधिकार प्राप्त ग्रुप के गठन की आवश्यकता है।

- केप्टिव कोयला ब्लाकों से उत्पादन निष्पादन बढ़ाने के लिए 'प्रोत्साहन' और गैर/कम निष्पादन के लिए 'हतोत्साहन' देने की प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

सीसीओ को

- नियमित आधार पर आवंटित कोयला ब्लाकों का निरीक्षण करना चाहिए।

सीआईएल को

- अपने उत्पादन लक्ष्य योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप तय करने चाहिए।

- कोल वाशरीज़ स्थापित करने में तेजी लानी चाहिए क्योंकि कोयले की वाशिंग क्षमता इस तथ्य के दृष्टिगत सीआईएल सहायक कंपनियों में अधिकतर अपर्याप्त हैं कि भारतीय कोयले में राख की अधिक प्रतिशतता समाविष्ट है जो प्रयोक्ता संयंत्रों में क्षमता के लिए और अधिक प्रतिफल लाने के अतिरिक्त पर्यावरणीय विषयों के परिप्रेक्ष्य में दोनों के लिए कोयले की वाशिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- अपनी उत्खनन और परिवहन क्षमताओं में समक्रमता लानी चाहिए।

अजित कुमार पटनायक

नई दिल्ली
दिनांक : 11 मई, 2012

(ए.के. पटनायक)
उप नियंत्रक महालेखापरीक्षक
एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

विनोद राय

नई दिल्ली
दिनांक : 11 मई, 2012

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक

अनुबन्ध

अनुबन्ध- I

तारीख	कोल सेक्टर में मील के पत्थर
1972 एवं 1973	कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण दो चरणों में किया गया था। प्रथम चरण (1972) में कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ। द्वितीय चरण (1973) में गैर-कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कोयला खानों जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सका उनकों निजी पट्टा धारकों द्वारा काम करने की अनुमति दी गई।
नवम्बर 1975	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एक धारक कम्पनी, कोयला मंत्रालय (एमओसी) के अधीन स्थापित की गई।
1976	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निजी पट्टा धारकों के साथ सभी खनन पट्टों को समाप्त कर दिया सिवाय उन आयरन और स्टील उत्पादकों के जिनको केप्टिव उपयोग के लिए अधिनियम द्वारा कोयला खनन जारी रखने की अनुमति थी।
14 जुलाई 1992	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1976 में निहित कोयले के केप्टिव खनन के लिए प्रावधानों को कार्यान्वित करने के क्रम में, कोयला शासी विधियों के प्रावधानों के तहत केप्टिव खनन एवं विकास हेतु कोयला ब्लॉकों के आवंटन में रूचि रखने वाले विभिन्न कम्पनियों द्वारा दिए गए आवेदनों पर विचार करने के लिए एक प्रशासनिक आदेश के माध्यम से सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एमओसी द्वारा एक जाँच समिति गठित की गई थी। कई कोयला ब्लाकों, जो सीआईएल और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड (एससीसीएल) के उत्पादन योजना में नहीं थे को सीआईएल/एससीसीएल के परामर्श से चिन्हित किए गए थे और 143 कोयला ब्लाकों की एक सूची बनायी गई थी तथा एमओसी द्वारा बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सूचना हेतु वेबसाइट पर डाल दी गई।
जून 1993	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम 1993 पारित किया गया जिसमें आयरन और स्टील उत्पादन के अतिरिक्त बिजली उत्पादन में लगे हुए भारतीय कम्पनियों को उनको केप्टिव उपयोग के लिए कोयला खनन की अनुमति दी गई। इसमें निजी कम्पनियों द्वारा पिट हेड पर खानों से प्राप्त कोयले के प्रक्षालन की भी अनुमति दी गई।
15 मार्च 1996	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम में समर्थकारी प्रावधानों को समाविष्ट कर अन्त उपयोग के रूप में सीमेंट क्षेत्र को अधिसूचित किया गया था।

फरवरी 1997	कैबिनेट ने एक भारतीय कम्पनी द्वारा गैर-केप्टिव कोयला खनन अनुमति के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
24 अप्रैल 2000	वाणिज्यिक खनन हेतु कोयला खान आबंटन की मांग करने वाली भारतीय कम्पनियों के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक 2000 राज्यसभा में प्रस्तुत किया। इस विधेयक को ट्रेड यूनियनों जिन्होंने इसे अवैज्ञानिक खनन और श्रम शोषण के रूप में व्यक्त किया, के कठोर विरोध का सामना करना पड़ा। यह विधेयक सभा में लंबित है।
28 दिसम्बर 2005	कोयला क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा श्री टी.एल शंकर अध्यक्ष उर्जा ग्रुप प्रशासनिक स्टाफ कालेज आफ इंडिया की अध्यक्षता में) कोयला क्षेत्र सुधार हेतु सात सदस्यों की विशेषज्ञ समिति गठित की गई और इनकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की गई।
फरवरी 2006	सरकार ने कोयला खानों (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के अंतर्गत अनुमत विद्युत, लोहा और इस्पात तथा सीमेंट क्षेत्रों एवं अन्य उपयुक्त क्रियाकलापों में कम्पनियों द्वारा केप्टिव कोयला खनन के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी।
12 जुलाई 2007	कोल गैसीकरण (भूमिगत और सतह) और कोल द्रवीकरण के द्वारा प्राप्त सिंथेटिक गैस के उत्पादन को केप्टिव खनन के उद्धेश्य के लिए विनिर्दिष्ट अंत उपयोगों के रूप में अधिसूचित किया गया थ।
17 अक्तूबर 2008	खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम) 1957 संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया था। इसमें उक्त अधिनियम के अंतर्गत कवर किए गए सभी खनिजो में प्रतिस्पर्धात्मक बोली लागू करने के प्रणाली पर विचार किया गया।
08 सितम्बर 2010	एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2010 अधिनियमित किया गया था।
02 फरवरी 2012	एमओसी ने कोयला खान नियमावली 2012 का प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा नीलामी अधिसूचित किया।

अनुबंध-II

कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति की मुख्य अनुशंसाएं (श्री टी.एल शंकर की अध्यक्षता में) 2005

कोयला मंत्रालय ने दिसम्बर 2004 को श्री टी.एल शंकर की अध्यक्षता में सात सदस्यों की एक समिति गठित की। विशेषज्ञ समिति को कोयला क्षेत्र के आधुनिकीकरण करने के लिए विस्तृत रोड मैप तैयार करना था। समिति ने दिसम्बर 2005 में रिपोर्ट का भाग-I प्रस्तुत की जिसमें तत्काल प्रासंगिकता अर्थात कम से मध्यम अवधि (2011-12) के मामले को मूलरूप से मामले को कवर किया गया था। वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा ने इस संबंध में कोयला मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के साथ-साथ विशेषज्ञ समिति के अनुशंसाएं पर विचार किया है। अनुशंसाएं की मुख्य विशेषताएं निम्नांकित हैः

- भारतीय कोयला उद्योग में कीमत का विनियमन सहित आवश्यक आपूर्ति विकल्प के रूप में आयात विकल्प कार्य को रखना जो अन्य उपभाक्ताओं की आवश्यकताओं के लिए आपूर्ति करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और पारदर्शी कोयला बाजार की अनुमति देते समय विद्युत उत्पादन के लिए कोयला की कम लागत आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा।
- रेलवे को मुख्य कोरिडोरों जिसके द्वारा विद्युत संयंत्रों में अधिक मात्रा में कोयला जायेगा को सुनिश्चित करने के लिए योजना आयोग और कोयला एवं विद्युत मंत्रालय से परामर्श लेना चाहिए और कोयला परिवहन के लिए लागत और समर्पित ट्रंक मार्गों का गठन करने के लिए व्यवहार्यता की जाँच करनी चाहिए।
- संगठन जिसके पास कोयले की आयात करने का लम्बे अनुभव हो को कम अवधि की आपूर्ति प्रबंधन कार्यक्रम को कार्यान्वयन में सह-विकल्प दिया जाना चाहिए।
- सीआईएल के उन्नयन की स्थिति ।
- कम से मध्यम अवधि में कोयला उत्पादन करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से अंशदान करने के लिए आंतरिक खनन की भूमिका पर बल ।
- कोयला ब्लॉकों के आबंटन की पद्धति और प्रक्रियाएं को पारदर्शी और प्रभावी तरीके से आंतरिक कोयला ब्लॉकों के आबंटन को शीघ्रता से सुधार करने की आवश्यकता है।
- आंतरिक खनन के लिए रिजर्वों के अनुमानित और निर्दिष्ट श्रेणियों सहित कोयला ब्लॉकों को मुक्त करना जिससे कम से मध्यम अवधि में कोयला खनन में श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करने का लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं हो पायगा।
- खान विकास के दौरान अथवा खान परिचालनों के दौरान आवधिक अधिशेषों को कोयले की उसी मात्रा के लिए प्लस बैंड या सीआईएएल के घटाव 10 प्रतिशत सहित समझौता कीमत पर सीआईएल/एससीसीएल को बेचना चाहिए।
- अधिकांश मामले में संबंधित राज्य सरकार से भूमि और खनन पट्टा के लिए पर्यावरणीय अनुमति, स्वीकृति प्राप्त करने और उसके पश्चात् भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में मुख्य विलम्ब होता है। कोयला मंत्रालय को स्वीकृति और राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा

अनुमति का मानीटर करने में सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए। सचिवों के अधिकार प्राप्त उच्च स्तरीय समिति का गठन चार से छः महीने की समय सीमा के अन्दर पर्यावरण अनुमति को लागू करने के लिए विचार के उद्देश्य से किया जाना चाहिए।

- बैंक गारंटी जमा करना जिसमें से 50 प्रतिशत गारंटीकृत उत्पादन से और 50 प्रतिशत अंत उपयोग परियोजनाओं के गठन से संबंधित हो।
- ऐसे मामले में उत्पादन के लिए आबंटित खानों को लाने और अंत उपयोग संयंत्रों का गठन करने और बीजी का नकदीकरण करने में यदि आबंटी विफल होता है तो पहले जारी किए गए लाइसेंसों को रद्द करने के लिए विधिक उपाय।
- देश के अंदर और बाहर सभी प्रख्यात एजेंसियों को शामिल कर 3 लाख मीटर प्रतिवर्ष से कम से कम 15 लाख मीटर प्रतिवर्ष सीएमपीडीआईएल की ड्रिलिंग क्षमता को बढ़ाकर "साबित" श्रेणी रिजर्वों को बढ़ाने के लक्ष्य पर XIवीं योजना में विस्तृत अन्वेषण और ड्रिलिंग का कार्याक्रम लंच करना।
- आरम्भ में घरेलू उत्पादन का न्यूनतम 10 प्रतिशत के लिए ई-निलामी बिक्री और उसके पश्चात् तीसरे वर्ष तक 20 प्रतिशत और 5 से 7 वर्ष की अवधि में 30 प्रतिशत तक पहुँच ।
- सीआईएल ब्लॉकों को अनारक्षण करना जिसे 2026-27 के पहले उत्पादन में नहीं लाया जा सकता है।
- रेलवे, कोयला और विद्युत मंत्रालय को एफएसटीए के अच्छी तरह से कल्पित मॉडल को तैयार करने के लिए साथ-साथ काम करना चाहिए। भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों एफएसटीए को स्वीकार करते है और इनके प्रावधानों के अनुसार निष्पादन करते है।
- घरेलू कोयला उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए आपातकालिन उत्पादन योजना सहित सीआईएल के उत्पादन संयंत्रों को पूर्णतया कार्यान्वित करने के लिए XIवीं योजना के अंत तक सभी परियोजनाओं की अनुमति और परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति को मानीटर करने के लिए स्थायी विशेष कार्य बल का गठन को पूरा किए जाने की आवश्यकता है।

अनुबंध-III

निजी पार्टियों को आबंटित ओपन कास्ट खान के मामले में निष्कर्षणीय रिजर्व

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	राज्य	ब्लॉक का नाम	उत्पादक/गैर उत्पादक	आबंटन की तिथि	सेक्टर	जीआर(100%) मिलियन टन में	क्या एम-पी उपल्बध है (हां/नहीं)	निष्मकर्षणीय रिजर्व (ईआर)- (मिलियन टन में)	वास्तविक पर निष्कर्षणीय रिजर्व (जहां एमपी उपलब्ध है, जीआर का 73 प्रतिशत जहां एमपी उपलब्ध नहीं है) (मिलियन टन में)
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे	के
1	अभिजीत इफ्रॉस्ट्रक्चर लि.	झारखंड	i) ब्रिंदा	गैर उत्पादक	26 मई 05	स्पंज आयरन		नहीं		
2	अभिजीत इन्फॉस्ट्रक्चर लि.	झारखंड	ii) सासई	गैर उत्पादक	26 मई-05	स्पंज आयरन	77.000	नहीं		56.210
3	अभिजीत इन्फ्रॉस्ट्रक्चर लि.	झारखंड	iii) मेरल	गैर उत्पादक	26 मई-05	स्पंज आयरन		नहीं		
4	उषा मार्टिन लि.	झारखंड	लोहारी	गैर उत्पादक	24 अगस्त 05	स्टील	11.765	हाँ	9.045	9.045
5	नीलाचल आयरन एण्ड पावर जेनेरेशन तथा बजरंग इस्पात	झारखंड	डुमरी (अन्वेषित)	गैर उत्पादक	13 जन. -06	स्पंज आयरन	55.988	हाँ	40.854	40.854
6	भूषण स्टील एण्ड स्ट्रिप्स लि. एण्ड अदर्स	ओड़िसा	न्यू पत्रपारा	गैर उत्पादक	13 जन-06	स्पंज आयरन	433.000	नहीं		316.090
7	इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग एण्ड अदर्स	झारखंड	नार्थ धादू	गैर उत्पादक	13 जन-06	स्पंज आयरन स्टील	923.945	हाँ	340.054	340.054
8	एस्सार पॉवर लि. एण्ड हिंडलको	मध्य प्रदेश	माहान	गैर उत्पादक	12 अप्रैल 06	पावर	144.208	हाँ	121.958	121.958
9	रूंगटा माईन्स लि.	झारखंड	बुंदु	गैर उत्पादक	25 अप्रैल 06	स्पंज आयरन	102.268	हाँ	32.167	32.167
10	रूंगटा माईन्स लि. एण्ड अदर्स	ओडिसा	राधिकापुर वेस्ट	गैर उत्पादक	25 अप्रैल 06	स्पंज आयरन	288.440	नहीं		210.561

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	राज्य	ब्लॉक का नाम	उत्पादक/गैर उत्पादक	आबंटन की तिथि	सेक्टर	जीआर(100%) मिलियन टन में	क्या एम-पी उपलब्ध है (हां/नहीं)	निष्कर्षणीय रिजर्व (ईआर)- (मिलियन टन में)	वास्तविक पर निष्कर्षणीय रिजर्व (जहां एमपी उपलब्ध है, जीआर का 73 प्रतिशत जहां एमपी उपलब्ध नहीं है) (मिलियन टन में)
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे	के
11	एस्सार पावर जेनेरेशन लि.	झारखंड	चकला	गैर उत्पादक	20 फर.-07	पावर	83.101	हाँ	71.140	71.140
12	जेएसपीएल	झारखंड	जितपुर	गैर उत्पादक	20 फर.-07	पावर	81.095	हाँ	65.535	65.535
13	हिंडलको एण्ड टाटा पावर लि.	झारखंड	टूबेड	गैर उत्पादक	1 अगस्त-07	पावर	189.823	हाँ	130.000	130.000
14	डी.बी. पावर लि.	छत्तीसगढ़	दुर्गापुर II /सरिया	गैर उत्पादक	6 नव.-07	पावर	91.672	नहीं		66.921
15	अदानी पावर लि.	महाराष्ट्र	लोहारा वेस्ट एक्सटैंशन	गैर उत्पादक	6 नव.-07	पावर	169.832	हाँ	140.000	140.000
16	सीईएससी लि. एण्ड जेएएस इंफ्रॉस्ट्रक्चर	झारखंड	माहुआगढ़ी	गैर उत्पादक	9 जन-08	पावर	220.000	नहीं		160.600
17	मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लि; टाटा पावर एण्ड जिन्दल फोटो लि.	ओडिसा	मंदाकिनी-ए	गैर उत्पादक	9-जन-08	पावर	322.796	हाँ	287.886	287.886
18	जेएसपीएल एण्ड गगन स्पंज आयरन लि.	झारखंड	अमरकोण्ड मुर्गादंगल	गैर उत्पादक	17-जन-08	पावर	410.000	नहीं		299.300
19	एसकेएस इस्पात एण्ड पावर लि. एण्ड प्रकाश इंडस्ट्रीज	छत्तीसगढ़	फतेहपुर	गैर उत्पादक	6-फर-08	पावर	120.000	नहीं		87.600

20	रुंगटा माइनस लि. एण्ड सनफ्लेग आयरन एण्ड स्टील लि.	झारखंड	चोरीतंद तैलिया	गैर उत्पादक	14 मई-08	पिग आयरन	97.000	नहीं		70.810
21	जेएसडब्ल्यू स्टील लि. भूषण स्टील एण्ड पावर, जय बालाजी इण्डस्ट्रीज	झारखंड	रोहने	गैर उत्पादक	5 जून-08	स्टील	242.000	हाँ	191.000	191.000
22	मुकुंद लि. विनी आयरन एण्ड स्टील उद्योग लि.	झारखंड	राजहारा नार्थ (सेन्ट्रल एण्ड इस्टर्न)	गैर उत्पादक	20 नव-08	स्टील	22.525	हाँ	15.609	15.609
23	स्ट्रेटेजिक एनर्जी तकनीकी सिस्टम लि.	ओड़िशा	अरखपाल का नार्थ	गैर उत्पादक	27 फर-09	सीटीएल	1500.000	नहीं		1095.000
24	टाटा स्टील लि. एण्ड आधुनिक थर्मल एनर्जी लि.	झारखंड	गणेशपुर	गैर उत्पादक	28 मई-09	पावर	137.000	नहीं		100.010
25	हिमाचल ईएमटीए/जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	पश्चिम बंगाल	गौरगंडीह एबीसी	गैर उत्पादक	10 जुलाई-09	पावर	129.150	हाँ	61.540	61.540
									कुल जोड़	**3,969.890**

अनुबंध - IV

निजी पार्टियों को आबंटित मिश्रित खदानों जहाँ खनन योजना उपलब्ध है, के मामले में निष्कर्षणीय रिजर्व

क्रमांक	कंपनी का नाम	राज्य	ब्लॉक का नाम	उत्पादक/गैर उत्पादक	आबंटन की तिथि	सेक्टर	जीआर (100%) मिलियन टन में	ओसी के लिए एमपी के अनुसार जीआर (मिलियन टन में)	एमपी के अनुसार वास्तविक पर निष्कर्षणीय रिजर्व (ईआर) (मिलियन टन में)
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे
26	जायसवाल नेको लिमिटेड	झारखंड	मोइत्रा	गैर-उत्पादक	13-मई-05	स्टील	215.780	38.160	29.910
27	इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स लिमिटेड	झारखंड	पर्बतपुर ए से सी	उत्पादक	7-जुलाई-05	पिग आयरन	235.718	7.150	5.720
28	टाटा स्टील लिमिटेड	झारखंड	i) कोट्रे बसन्त-पुर	गैर-उत्पादक	11-अगस्त-05	स्टील	148.399	उ न	93.052
29	टाटा स्टील लिमिटेड	झारखंड	ii) पंचमों	गैर-उत्पादक	11-अगस्त-05	स्टील	101.992	80.418	61.276
30	कारपोरेट स्टील एवं एलॉयस लिमिटेड	झारखंड	चितरपुर	गैर-उत्पादक	2-सितम्बर-05	स्पंज आयरन	174.623	उ न	58.660
31	टापवर्थ ऊर्जा एवं मेटल्स लिमिटेड (पूर्व में श्री वीरांगना स्टील लिमिटेड के रूप में जाना जाता है।)	महाराष्ट्र	मार्की मंगली-III	गैर-उत्पादक	6-सितम्बर-05	स्पंज आयरन	6.190	उ न	4.200
32	टापवर्थ ऊर्जा एवं मेटल्स लिमिटेड (पूर्व में श्री वीरांगना स्टील लिमिटेड के रूप में जाना जाता है।)	महाराष्ट्र	मार्की मंगली-II	गैर-उत्पादक	6-सितम्बर-05	स्पंज आयरन	11.540	उ न	6.730
33	टापवर्थ ऊर्जा एवं मेटल्स लिमिटेड (पूर्व में श्री वीरांगना स्टील लिमिटेड के रूप में जाना जाता है।	महाराष्ट्र	मार्की मंगली-IV	गैर-उत्पादक	6-सितम्बर-05	स्पंज आयरन	4.890	उ न	3.035
34	भूषण पावर एवं स्टील लिमिटेड	ओड़िसो	बिजहान (अनन्वेषित ब्लॉक)	गैर-उत्पादक	13-जनवरी-06	स्पंज आयरन	327.046	185.113	161.200

35	जेएसपीएल एण्ड नल्वा स्पंज आयरन लिमिटेड	छत्तीसगढ़	गरे पल्मा IV/6	गैर-उत्पादक	13-जनवरी-06	स्पंज आयरन	158.097	73.985	66.371
36	जायसवाल नेको लिमिटेड	छत्तीसगढ़	गरे पल्मा IV/8	गैर-उत्पादक	13-जनवरी-06	स्टील	107.204	14.819	11.750
37	अल्ट्राटेक एण्ड अदर्स	छत्तीसगढ़	मदनपुर नार्थ	गैर-उत्पादक	13-जनवरी-06	पावर स्पंज आयरन	213.460	113.820	94.960
38	मदनपुर साउथ (जेवीसी आफ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड)	छत्तीसगढ़	मदनपुर साउथ	गैर-उत्पादक	13-जनवरी-06	पावर स्पंज आयरन	180.490	146.170	115.740
39	छत्तीसगढ़ कैप्टिव कोल माइनिंग लि. (जेवीसी आफ इस्पात गोदावरी एण्ड अदर्स)	छत्तीसगढ़	नाकिया I	गैर-उत्पादक	13-जनवरी-06	स्पंज आयरन	359.850	105.030	98.320
40	छत्तीसगढ़ कैप्टिव कोल कम्पनी लि. (जेवीसी आफ इस्पात गोदावरी एण्ड अदर्स)	छत्तीसगढ़	नाकिया II	गैर-उत्पादक	13-जनवरी-06	स्पंज आयरन			
41	टाटा स्पंज एण्ड अदर्स	ओडीसा	राधिकापुर पूर्व	गैर-उत्पादक	7-फरवरी-06	स्पंज आयरन	183.429	172.083	105.240
42	बाल्को	छत्तीसगढ़	दुर्गापुर II /तारैमार	गैर-उत्पादक	6-नवम्बर-07	पावर	211.366	96.990	70.120
43	सोवा इस्पात एण्ड जय बालाजी स्पंज लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	अर्धग्राम	गैर-उत्पादक	6दिसम्बर-07	स्पंज आयरन	25.600	2.143	1.863
44	बिरला कारपोरेशन लिमिटेड	मध्य प्रदेश	विक्रम	गैर-उत्पादक	12-अगस्त-08	सीमेंट	20.975	4.655	3.758
45	इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड, ग्रैसिम इण्डस्ट्रीज	छत्तीसगढ़	भाष्करपारा	गैर-उत्पादक	21-नवम्बर-08	स्पंज आयरन	46.910	उ न	18.670
								कुल	**1010.575**

अनुबंध - V

निजी पार्टियों को आबंटित मिश्रित खदानों जहाँ खनन योजना उपलब्ध नहीं हैं, के मामले में निष्कर्षणीय रिजर्व

क्रमांक	कंपनी का नाम	राज्य	ब्लॉक का नाम	उत्पादक/गैर - उत्पादक	आबंटन की तिथि	सेक्टर	जीआर (100%) मिलियन टन में	जीआर[1] का 37 % पर निष्कर्षणीय रिजर्व (मिलियन टन में)
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई =एच*37/100
46	डोमकों स्मोकलेस फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड	झारखंड	लालगढ़ नार्थ	गैर उत्पादक	8-जुलाई-05	पिग आयरन	27.088	10.023
47	एस्सार पावर लिमिटेड	झारखंड	अशोक करकता सेंट्रल	गैर उत्पादक	6-नवम्बर-07	पावर	110.000	40.700
48	भूषण पावर एण्ड स्टील लिमिटेड	झारखंड	पाटल ईस्ट	गैर उत्पादक	6-नवम्बर-07	पावर	200.000	74.000
49	एईएस छत्तीसगढ़ एनर्जी प्राइवेट-लिमिटेड	छत्तीसगढ़	सायंग	गैर उत्पादक	6-नवम्बर-07	पावर	150.000	55.500
50	ओर्सेलर मित्तल इंडिया लिमिटेड एण्ड जीवीके पावर्स (जी. साहिब)	झारखंड	सेरेगढ़	गैर उत्पादक	9-जनवरी-08	पावर	150.000	55.500
51	स्टर्लाइट एनर्जी, जीएमआर एनर्जी, आर्सेलर मित्तल इंडिया लि., लैंको ग्रुप, नवभारत पावर (आईपीपी), रिलायंस एनर्जी	ओड़िसा	राम्पिया डिप साइड	गैर उत्पादक	17-जनवरी-08	पावर	645.235	238.737
52	स्टर्लाइट एनर्जी, जीएमआर एनर्जी, आर्सेलर मित्तल इंडिया लि., लैंको ग्रुप, नवभारत पावर (आईपीपी), रिलायंस एनर्जी	ओड़िसा	रैम्पिया	गैर उत्पादक	17-जनवरी-08	पावर		

53	जेएलडी यावतमाल एनर्जी, आरकेएम पावरगेन, वन्दना विद्युत, वीसा पावर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर	छत्तीसगढ़	फतेहपुर ईस्ट	गैर उत्पादक	23-जनवरी-08	पावर	500.000	185.000
54	बिहार स्पंज आयरन कंपनी लिमिटेड	झारखंड	माचेरकुण्डा	गैर उत्पादक	5-अगस्त-08	स्पंज आयरन	23.860	8.828
55	जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड	ओड़िसा	रामचण्डी प्रमोशनल ब्लाक	गैर उत्पादक	27-फरवरी-09	सीटीएल	1500.000	555.000
56	रूंगटा माइन्स लिमिटेड/कोहिनूर स्टील प्राइवेट लिमिटेड	झारखंड	मेदनीराय	गैर उत्पादक	28-मई-09	पावर एण्ड स्पंज आयरन	80.830	29.907
57	आईएसटी स्टील एण्ड पावर, गुजरात अंबुजा सीमेंटस, लाफर्ग इंडिया लिमिटेड	छत्तीसगढ़	दहेगाँव मकरढोकरा	गैर उत्पादक	17-जनवरी-09	स्टील/ सीमेंट/ सीमेंट	132.000	48.840
							कुल	**1,302.035**

[1] ***मिश्रित खानों जहाँ खान योजनाएं उपलब्ध थे के निष्कर्षणीय ओसी रिजर्वों की औसत पात्रा पर आधारित 37% तैयार किया गया है।***

300